लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
F. No.
On 24-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 31, बुधवार, 5 सितम्बर, 1973/14 भाद्र, 1895 (शक)

No. 31, Wednesday, September 5, 1973/Bhadra 14, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 7	SNQ. No. 7 ...	1-11
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	11-13
याचिका समिति	Committee on Petitions	13
कार्यवाही सारांश	Minutes	13-14
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	14
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	14
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings ..	14
40वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Fortieth Report and Minutes ..	14-15
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	Committee on Government Assurances	15
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report ..	15
याचिका समिति	Committee on Petitions	15
13वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report ..	15
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के संबध में वक्तव्य	Statement Re. Grant of Additional Dearness Allowance to Central Government Employees ..	15
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan ..	15-16
श्रद्धानन्द कालेज, दिल्ली के निकट हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Incidents near Shardhanand College Delhi. ..	16
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin ..	16
क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 728 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 728 re. increase in number of T.B. Cases...	16

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को आवंटित किये जाने वाले गेहूं की मात्रा में कमी करने के सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Government's Decision to reduce the quantum of allotment of wheat to UP and other States.	16
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	16-17
स्कूटर तथा मोपेड बनाने वाले कम्पनियों के बारे में सदस्य का वक्तव्य	Statement by Member re. companies producing Scooters and Mopeds	17
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	17
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheswar Prasad	.. 18
सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य के बारे में	Re. Statement Laid on the Table	.. 18
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे-में	Re. Question of Privilege	.. 19
विविध मामले	Miscellaneous Matters	.. 20
पांचवीं योजना के दृष्टिकोण के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Approach to the Fifth Plan	.. 22-23
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata	.. 23-24
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ..	.. 24
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranbahadur Singh	.. 24-25
श्री सुधाकर पांडेय	Shri Sudhakar Pandey	25-26
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwar Lal Patel	.. 26
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	.. 26-28
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	.. 29
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	.. 29-30
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ..	.. 31
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	.. 31-32
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	.. 32
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	.. 32
बम्बई और दिल्ली में डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Doctors' Strike in Bombay and Delhi	.. 33
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar	.. 33

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 5 सितम्बर, 1973/14 भाद्र, 1895 (शक)

Wednesday, September 5, 1973/Bhadra 14, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प-सूचना प्रश्न
Short Notice Question

'दि स्टेट्समैन' के प्रबन्धकों द्वारा अपने पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के प्रति अत्याचारपूर्ण तरीके अपनाया जाना

अ०सू०प्र०संख्या 7. श्री सतपाल कपूर
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक समाचार पत्र 'दि स्टेट्समैन' के प्रबन्धकों द्वारा अपने पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति अत्याचारपूर्ण तरीके अपनाये जाने के परिणामस्वरूप एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समाचारपत्र को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को स्टेट्समैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, नई दिल्ली की साधारण सभा द्वारा 17 अगस्त, 1973 को पास किये गये प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें और बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शिकायतें भी शामिल हैं :–

(1) पत्रकारों की कार्य संबंधी वास्तविक कठिनाइयों के प्रति प्रबंधकों का नकारात्मक और उपेक्षापूर्ण रवैया।

(2) वेतनों, जिनमें जीवन सूचक अंक में वृद्धि की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति हेतु महंगाई-भत्ता फार्मूले में संशोधन भी शामिल है, में संशोधन होने तक पर्याप्त अंतरिम सहायता की अदायगी ।

(3) एक हजार रुपये की सीमा लागू करके श्रमजीवी पत्रकारों के लिये बोनस की मात्रा में कटौती ।

यह आशा की जाती है कि स्टेट्समैन लिमिटेड के प्रबंधक एसोसियेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कदम उठायेंगे ।

Shri Satpal Kapur: Will the hon. Minister be pleased to state whether it is the only paper whose editorial policy is determined by Managing Director and not by the Editors.

Shri Atal Behari Vajpayee: How does this question arise?

Shri Satpal Kapur: This question arises out of the victimisation of journalists by the management and managing director.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न है 'द स्टेट्समैन' के प्रबंधकों द्वारा अपने पत्रकारों के प्रति अत्याचारपूर्ण तरीके अपनाये जाने के परिणामस्वरूप.........................

Shri Satpal Kapur : Some of the journalists have resigned because of the high handedness of the management while some of them have been manhandled in court.

Shri Atal Behari Vajpayee: It is not fact.

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि सदन में जब प्रैस के विस्तार एवं विसम्बद्ध के प्रश्न पर चर्चा हुई थी तो मैंने यह निवेदन किया था कि दुर्भाग्यवश इससे कुछ समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं कुछ बड़े समाचार पत्रों में निर्णय लेने का कार्य सम्पादकीय कक्ष से निकलकर प्रबंधक वर्ग के हाथ में आ गया है । विशेषकर इस मामले में यह बड़े दु:ख की बात है कि स्टेट्समैन संस्था की अंतर्नियमावली में समाचार पत्र के संबंध में नीति बनाने का अधिकार संपादक को न देकर प्रबंध निदेशक को दे दिया गया है ।

Shri Satpal Kapur: Is it a fact that few correspondents of this paper have already resigned and a correspondent was outside the court by one of the managers and he has lodged a complaint in the court about it?

श्री आई० के० गुजराल : यह दो पृथक मामले हैं । मुझे श्री सुमन्त बनर्जी के त्यागपत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है :

"वर्तमान परिस्थितियों में काम जारी रखने के लिये मेरी अन्तरचेतना नहीं मानती ।"

"..............ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्तरदायी सम्पादकीय कर्मचारियों से सम्पादकीय स्वतंत्रता तथा उनके सम्मान को प्रबंधकों द्वारा छीन लिये जाने से मेरे पद त्याग के संकल्प को केवल बल ही प्राप्त हुआ ताकि मैं व्यवसायिक हितों का खिलौना मात्र बनने से बच सकूं ।"

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक सम्पादकीय सदस्य के साथ प्रबंधकों तथा स्थानीय कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया । इसका उल्लेख एक संकल्प में भी किया गया है जिसकी एक प्रति मुझे भी भेजी गई थी ।

ज्योतिमयबसु : अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आपसे पहले एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी है आप कृपया उन्हें पहले प्रश्न पूछ लेने दीजिये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उत्तर में कहा गया है कि 'स्टेट्समैन' के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन दिया है और अपनी शिकायतें भी सम्मुख रखी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि स्टेट्समैन के प्रबन्धक निदेशक, श्री ईरानी को, जो कि पहले टाटा अधीन एक बीमा संगठन के अध्यक्ष थे, सभी प्रकार की सुविधायें, जिसमें कि दिल्ली और कलकत्ता में मिले बड़े बंगले भी शामिल है, प्राप्त हैं । और जब भी कभी वह अन्य शहरों में जाते हैं तो उन्हें और अधिक सुविधायें कार बंगले इत्यादि की प्रदान की जाती हैं । जबकि स्टाफ में काम करने वाले पत्रकारों और 'ब्यूरो' के संवाददाताओं को ऐसी कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये विवरण न दीजिये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रश्न के अंतिम भाग में कहा गया है :

"यह आशा की जाती है कि स्टेट्समैन लिमिटेड के प्रबंधक ऐसोसियेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कदम उठायेंगे।"

हम आशाओं के विरुद्ध आशा कर रहे हैं। इसी कारण मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सच है कि इस समाचार पत्र के एक पत्रकार श्री मध्रोक को, जिन्होंने प्रबंधक वर्ग के विरुद्ध अपनी शिकायतों को दूर कराने हेतु, अदालत में मामला दर्ज किया, अदालत से बाहर निकलने पर और भी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं स्वयं 'स्टेट्समैन' के प्रबंधक द्वारा पीटा गया जब ऐसी घटनायें हो रही हैं तो आप किस किस्म की कार्यवाही कर रहे हैं और समाचार पत्रों के स्वामित्व विस्तार पर विधेयक लाने का क्या लाभ है ?

श्री आई० के० गुजराल : संघ द्वारा पारित एक संकल्प की, जिसमें कि इस घटना का उल्लेख किया गया है, एक प्रति मुझे भेजी गई थी परन्तु सच्चाई क्या है मैं अभी नहीं जानता लेकिन कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जो मुझसे मिला उन्होंने भी इस घटना का उल्लेख किया और उन्होंने यह भी बताया कि जब यह घटना हुई तो इसे 'लेबर कोर्ट' के ध्यान में भी लाया गया और वह इसकी जांच कर रही है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 'स्टेट्समैन' का प्रबंधक वर्ग इस मशीन को हटाने का विचार कर रहा जोकि वह 'जूनियर स्टेट्समैन' एक साप्ताहिक पत्रिका के संबंध में कलकत्ता में लगाना चाहते हैं ? और यदि इसे दिल्ली में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है तो इससे कलकत्ता में बेरोजगारी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। क्या सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया है और क्या.............

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से क्या संबंध है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया प्रश्न देखिये प्रश्न में 'अत्याचारपूर्ण तरीकों' का उल्लेख किया गया है। उनका कलकत्ता से मशीनें हटाकर दिल्ली में लगाना कोई कम अत्याचारपूर्ण बात नहीं इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अतः क्या सरकार का विचार 'स्टेट्समैन' के क्रियाकलापों के बारे में विशेषकर श्री ईरानी के बारे में एक उच्चस्तरीय जांच कराने का है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आया आपका यह प्रश्न कैसे संगत है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कलकत्ता से मशीनें हटाकर दिल्ली लगाना कर्मचारियों के प्रति अत्याचार होगा और इससे उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दें कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है अथवा नहीं ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जांच के बारे में आपका क्या विचार है। आज सत्र का अंतिम दिन है कल न ही आपके पास और न ही मेरे पास संसद सदस्य की हैसियत से कोई आयेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 'कम्पनी ला' बोर्ड द्वारा अथवा किसी ऐसी ऐजेंसी द्वारा 'स्टेट्समैन' के इस पहलू के बारे में जांच कराई जायेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : यदि किसी विशेष समाचारपत्र का संस्करण एक स्थान से दूसरे स्थान पर......

श्री दीनेन भट्टाचार्य : केवल यही नहीं कुछ अन्य बातें भी घट रही हैं अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका इस बारे में जांच कराने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें अत्याचार का कोई प्रश्न नहीं। यह उनकी अपनी समस्या है। वह मशीन को हटाकर जहां मरजी लगा सकते हैं अतः माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न से संगत प्रश्न करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : पत्रकारिता व्यवसाय में इस प्रकार के अनुभव केवल 'स्टेट्समैन' में ही नहीं बल्कि कई अन्य समाचारपत्रों में जैसे कि 'जन्मभूमि' और 'आज' जिनका स्वामित्व या तो कुछ वर्गों, न्यासों अथवा परिवारों के

हाथों में है, देखने में आये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की जांच हेतु, क्योंकि जनसंचार के इन माध्यमों में यह समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है. सरकार किसी 'निगरानी तंत्र' की स्थापना करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक छंटनी का संबंध है इस ओर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है । 'जन्मभूमि' के बारे में मुझे बताया गया था और इस ओर हम ध्यान दे रहे हैं । 'आज' के बारे में भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया और 'स्टेट्समैन' के इस विशेष मामले के बारे में मुझे त्यागपत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है लेकिन इस पदत्याग के बारे में मुझे छानबीन करने के लिये नहीं कहा गया ।

एक संकल्प, प्रस्ताव तथा समाचारपत्र के सम्पादक को संघ द्वारा लिखे गये पत्र की एक प्रति से यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि प्रबन्धक सम्पादक के अधिकारों का हनन कर रहे हैं । अन्य मामलों की अपेक्षा मैं इस बारे में अधिक चिन्तित हूं । यह बात नहीं कि दूसरे मामले कम महत्वपूर्ण हैं अपितु इसलिये कि हमारे संविधान ने विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है और हम यह बात जानते हैं कि समाचारपत्र में प्रबन्धकों की तुलना में सम्पादकीय दिशा अधिक महत्वपूर्ण है । यह बात मेरे ध्यान में है और मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं ।

Shri Chandu Lal Chandrakar: I think, hon. Minister has got certain complaints to the effect that a number of people have been dismissed from service. May I know the number of such complaints and the number of the people who have been dismissed?

There is an specific mention in the letter of dismissal to the present legal correspondent that the service is being dismissed due to shortage of paper. Services of Shri Jagdish Prasad Chaturvedi has also been dismissed on the same ground. Therefore, I would like to know the exact number of such dismissals either due to recent shortage of newsprint or due to some other reasons such as there was a maltreatment in the 'Statesman.'

Shri I.K. Gujral: What has been brought to my notice is that two persons—Shri Chaturvedi and the legal correspondent have been dismissed. The same complaint has been reviewed regarding 'Janam Bhumi'.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The hon. Minister has agreed that the correspondents of the Statesman have passed a resolution in which they have given details of their grievances. The hon. Minister has referred to that. Is it not a fact that in the resolution the Correspondents have demanded certain action from the Government in this regard? What is the action demanded and whether the Government propose to take some action to remove their griev nces or they think their duty is over by merely replying to that?

श्री आई० के० गुजराल : जब उनका प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला और अपने प्रस्ताव की एक प्रति मुझे दी तब वास्तव में वे इस बात के इच्छुक थे कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाये । अन्यथा वे मुझसे मिलते ही नहीं । इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । पहला भाग बोनस, वेतन आदि के संबंध में कार्य की शर्तों से संबंधित है । इस बात पर अन्य मंत्रालयों द्वारा जिन्हें कागजात भेजे जा रहे हैं, विचार किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं इस प्रस्ताव की प्रतियां अन्य मंत्रालयों जैसे कम्पनी कानून विभाग तथा श्रम मंत्रालय को भी भेजी गई होंगी । सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मेरा संबंध केवल सम्पादकीय क्षेत्र तक ही सीमित है । यदि सम्पादकीय क्षेत्र के नेतृत्व का हनन किया जाता है, जैसा कि दुर्भाग्यवश किया गया है, तो यह केवल सरकार के लिये ही चिन्ता का विषय नहीं है अपितु समस्त सदन के लिये चिन्ता का विषय है क्योंकि हम विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक हैं । अतः हमें इस ओर ध्यान देना है कि इस प्रकार का हनन न हो ।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने जो बताया है कि प्रबंधकों ने संस्था के अन्तर्नियमों तथा प्रेस की स्वतन्त्रता के विषय में क्या किया है वह वास्तव में लज्जा की बात है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के विचार में प्रेस की स्वतन्त्रता की परिभाषा क्या है और इसके संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? मैं यह बात भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि स्टेट्समैन के प्रबन्धकों ने समाचार पत्रों में तालाबन्दी की धमकी दी है, यदि है तो ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं इस सम्बन्ध में हाल ही में प्रकाशित हुई, एक पुस्तक से उद्धरण देना चाहता हूं । यह आत्मकथा है ....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री आई० के० गुजराल : यदि आप सुनेंगे तो आपको पता चल जायेगा (व्यवधान) । मुझे आशा है आप भी प्रेस की स्वतन्त्रता से उतने ही सम्बन्धित हैं और यदि नहीं हैं तो यह एक अलग बात है । यह श्री एम० सी० सीतलवाड़ जो इस समाचार पत्र के न्यास बोर्ड के एक सदस्य थे की आत्मकथा से उद्धृत है । मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिनसे पता चलेगा कि समाचार पत्र में संपादकीय क्षेत्र के प्राधिकरण तथा विचाराभिव्यक्ति का किस प्रकार हनन किया जाता है । न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री सीतलवाड़ ने कहा है कि :

"स्टेट्समैन लिमिटेड के न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुझे वर्ष 1968 के अन्तिम भाग में एक ऐसा धक्का लगा जो अप्रत्याशित नहीं था । कहानी बड़ी रुचिपूर्ण है जिसमें यह दिखाया गया है कि समाचार पत्रों के उद्योगपतियों को सम्पादकों को सम्पादकी स्वतंत्रता देना कितना कठिन है और जिन उद्योगपतियों ने 'स्टेट्समैन' को 1963 में मान्यता दी थी उनके द्वारा सच्चाई तथा प्रशंसनीय ढंग से किया गया यह प्रयोग किस प्रकार विफल हो गया .... ।"

मुख्य बात यह है कि श्री सीतलवाड़ ने भी यह महसूस किया 'स्टेट्समैन' के सम्पादकीय प्राधिकार का हनन किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप क्या करते रहे ?

श्री वयालार रवि : बन्द करने की धमकी के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है जब मैंने यह बताते हुए कि प्राधिकार सम्पादक से प्रबन्ध निदेशक के पास चला गया है, संस्था के अन्तर्नियमों से उद्धरण दिया था । मैंने श्री सीतलवाड़ का जो बोर्ड के चेयरमैन थे, भी, यह बताने के लिये कि प्राधिकार सम्पादक से प्रबन्धकों को दे दिया गया है । वहां स्टेट्समैन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया ।

श्री वयालार रवि : मैंने ताला बन्दी की धमकी के बारे में पूछा था ।

श्री आई० के० गुजराल : यह बात मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है । मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा ।

Shri Madhu Limaye : Sir, A few years back there was scope for criticism regarding the policy matters of the editorial in the Statesman but there was no scope for difference of opinion regarding the quality of the editorial which was considered to be the best. In every field, particularly reporting of parliamentary proceedings, even if it was our criticism, was very interesting. The Statesman and the other newspapers should be emancipated from the control of big capitalists on one hand and from the influence of the Government on the other. Is it a fact that a journalist Mr. Nath was threatened by the management in the Court in these words, journalists, you should know that I am the management. I shall grind him into the dust" Freedom of communication, freedom of contacting people and collecting information will be void in the absence of facilities like taxi scooter and telephones etc. The post of Managing Director has been created recently and this has eroded the freedom of editorial side. May I know whether the hon. Minister propose that action should be taken from Government departments so that old practice may be restored in the statesman and whether he propose to take action against the threat to the journalists? The hon. Minister should also arrange to provide facilities like taxies, scooters and telephones to enable the journalists to collect all the informations. He should try to ensure the House that the Statesman, in future, will remain free from the influence of the Government and the big capital as it was in the past.

श्री आई० के० गुजराल : अपने ज्ञापन में तथा संस्था के अन्तर्नियमों में एक विशेष बात यह है कि स्टेट्समैन ने लोकतांत्रिक सरकार तथा लोकतंत्र की सिद्धान्त संहिता को अपना सिद्धान्त माना है । मुझे आशा है कि वे इन प्रश्नों को समझेंगे और वे यह बात भी समझेंगे कि सदन में उनकी वर्तमान कार्यपद्धति के प्रति सभी ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त की जा

रही है । यदि वे इस बात पर ध्यान दें कि देश की क्या प्रतिक्रिया है तो मुझे आशा है कि और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि वे यह बात समझते हैं कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो वे लोकतांत्रिक प्रेरणा की अभिव्यक्ति करेंगे ।

जहां तक इस विशेष घटना का सम्बन्ध है, जिसके बारे में श्री मधुलिमये ने पूछा है, मैंने अभी अभी बताया है कि जब प्रतिनिधिमंडल श्रमिक न्यायालय में घटित घटना के बारे में बताने के लिये मेरे पास आया तो मुझे बताया गया कि श्रमिक न्यायालय के न्यायाधीश ने उस घटना को नोट किया है और मुझे आशा है कि इस विषय में कुछ होगा ।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that they refused to beg pardon even when the presiding judge asked them to do so?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे लिये हां या ना में उत्तर देना कठिन है, परन्तु मुझे यही कुछ बताया गया है ।

Shri Madhu Limaye: You may tell me after collecting the information. But to my knowledge presiding Judge asked them but they refused to beg pardon.

श्री हरि किशोर सिंह : मेरे विचार से यह सम्पूर्ण कठिनाई प्रेस स्वामित्व के विघटन की बात से उत्पन्न हुई है। क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रेस को एकाधिकार गृहों से असम्बद्ध करने की बात के पश्चात 'स्टेट्समैन' के प्रबन्धकों ने सम्वाददाताओं को उनकी परिवहन टेलीफोन तथा अन्य भत्तों आदि की सुविधाओं में कटौती करके, परेशान करना आरम्भ कर दिया, और यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ? मंत्री महोदय से यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब स्टेट्समैन संस्था के अन्तर्नियमों में परिवर्तन किया गया तब सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । संस्था के अन्तर्नियमों को किस प्रकार परिवर्तित होने दिया गया जिससे प्रेस की स्वतंत्रता तथा स्टेट्समैन में अभिव्यक्ति का हनन हुआ है ।

श्री आई० के० गुजराल : मेरे लिये यह बताना कठिन है कि यह कठिनाई कब आरंभ हुई थी । फिर भी 'स्टेट्समैन' की कठिनाई तब आरंभ हुई जब पत्र के भूतपूर्व सम्पादक श्री प्राण चोपड़ा ने अपनी बात पर अड़ जाना चाहा और न्यासी बोर्ड ने भी उनकी हां में हां मिलाई । यह 1968 की बात है और यह सहयोग की बात है कि हम ने प्रेस के स्वामित्व को बड़े उद्योगों से छीनने के बारे में गंभीरता से सोचना आरम्भ किया. ।

Shri Shankar Dayal Singh : In the context of the fact that both people and Government have shown vigilance in regard to freedom of press, I want to know whether a high-level Committee would be appointed and asked to submit its report within a week and whether action would be taken thereon at once in view of the problems posed by the 'Statesman' episode?

श्री आई०के०गुजराल : इसके दो अंग हैं । जहां तक सामान आदि का संबंध है, उस पर कम्पनी नियम लागू होते हैं और वाग स्वातंत्र्य के बारे में हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सुरक्षित रहे क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को देखते हुए स्टेट्समैन का स्वामित्व देश के कुछ एकाधिकारियों के साथ संघ के हाथ में है और इससे किसी भी स्वतंत्र सम्पादक के कार्य में बाधा पड़ सकती है । सरकार कैसे प्रेस स्वातंत्र्य सुनिश्चित करेगी और प्रस्ताविक विधेयक के अतिरिक्त जो ठप्प हो गया लगता है और क्या ठोस उपाय किये जायेंगे ?

श्री आई० के० गुजराल : इसे ठप्प समझने का प्रश्न ही नहीं है । हम इसके लिये कृतसंकल्प हैं और यह विधान शीघ्र ही लाया जायेगा........... (व्यवधान) । हम इसके लिये उपाय और तरीके खोज रहे हैं........... (व्यवधान) । यह ठीक है कि यह तथा कुछ अन्य पत्र बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में हैं और इसीलिये हम ऐसा चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने प्रेस-स्वातंत्र्य हेतु किये जाने वाले ठोस उपायों के बारे में पूछा था ।

श्री आई०के० गुजराल : मेरे विचार में प्रेस-स्वातंत्र्य तभी स्थापित होगा जब इसके स्वामित्व से एकाधिकार वादी हितों का संबंध नहीं रहेगा । इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'स्टेट्समैन' के मालिक पहले मूल कम्पनी के थे जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करते थे। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है फिर भी इसके प्रबन्ध-निदेशक श्री ईरानी का 13500 रुपये मासिक वेतन है परन्तु अभी भी इसके सम्पादक के पास उचित अधिकार नहीं हैं। इसके एक प्रबन्धक, श्री सतोषनाथ आई०एल०ओ० सम्मेलन में मालिकों के प्रतिनिधि बनकर गये थे और यह व्यक्ति वहां श्रम संवाददाता हैं। क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के एक प्रबन्धक की पत्नी को श्री ईरानी के बंगले की आन्तरिक सजावट के लिये नियुक्त किया गया है...................

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना प्रश्न दूसरे ढंग से पूछता हूं। क्या उक्त नियोजक-प्रतिनिधि श्रम संवाददाता हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : मुझे पता नहीं है। मैं पता लगाऊंगा।

Shri R.S. Pandey: The hold of big industrial houses over the press is because of Government policies and today when the demand of delinking is being made, the attitude of these papers toward their employees is not cordial and reasonable and as pointed out by my friend Shri Chandrakar, when the Parliamentary Correspondent of 'Aaj' was invited to cover the Prime Ministers visit to Canada, he was not allowed to make the trip because the owner wanted to send his own nephew. Even when he did not make the trip, his services were dispensed away with. So may I know whether there is any protection as regard his security of Service?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो कोई पूछा नहीं गया फिर भी यदि मंत्री महोदय चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री मुरासोली मारन : जहां तक हम समझ पाये हैं स्टेट्समैन के मामले में सम्पादकों की स्वतंत्रता के हनन से हमें चिन्ता हुई है। तो क्या इस मामले को प्रेस परिषद् को सौंपा जायेगा और क्या वह इसे हल कर भी सकेगी ? दूसरे, स्टेट्समैन एक वाणिज्यिक समाचार-पत्र है और जैसा कि 'नेशनल हैरल्ड' और यदि वे कुछ राजनीतिक दलों के पत्रों के सम्पादक उन दलों के विरुद्ध लिखना आरम्भ कर दें तब स्थिति क्या होगी ? मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उस स्थिति में सम्पादकीय स्वतंत्रता की रक्षा की जायेगी या दल की राजनीतिक आस्था की रक्षा की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा तो नहीं है प्रश्न तो संगत ही होना चाहिये ?

श्री आई० के० गुजराल : वाणिज्यिक समाचारपत्रों और किसी दल विशेष के अधिवक्ता पत्रों में अन्तर है। इन पत्रों के अलावा देश में प्रेस स्वतन्त्र हैं।

श्री मुरासोली मारन : यदि दल के पत्र का सम्पादक अपनी आस्था बदल कर दल के विरुद्ध लिखने लगे तब ?

श्री आई० के० गुजराल : ऐसे मनगढ़त प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं ? प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये सम्पादक की विचार-स्वतंत्रता बनाये रखना अनिवार्य है। प्रेस परिषद् के बारे में जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अनन्त राव पाटिल : समाचारपत्रों के प्रबन्धकों द्वारा सम्पादकीय स्वतंत्रता का अधिकाधिक हनन हो रहा है, जिसे मंत्री महोदय ने भी माना है। तो क्या इस मूल प्रश्न को प्रेस परिषद् को सौंपा गया है जिसका गठन ही प्रेस स्वातंत्र्य और पत्रकारिता का स्तर सुधारने के लिये किया गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आई० के० गुजराल : हाल ही में एसोसियेशन ने एक पत्र सम्पादक को लिखा था, जिसकी एक प्रति मुझे भी मिली थी। उसमें से एक पैरा यह है कि यह प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग के बारे में है। मैं उद्धृत करता हूं :

"संकल्प को पढ़ने के पश्चात गवाह ने पूछा कि हमने आपके अर्थात् सम्पादक के सामने अपनी समस्यायें रखी थीं, और आपको इस बारे में क्या कहना था। उसे बताया गया कि जैसा कि हम स्थिति को समझते हैं, आप अर्थात् सम्पादक के पास अधिकार नहीं हैं और स्टेट्समैन, लि० के निदेशक मण्डल ने आपको बताया था कि आप अपने आपको सम्पादकीय मामलों तक ही सीमित रखें और अन्य मामलों में प्रबन्ध निदेशक ही एक मात्र प्राधिकारी था।"

यह एक ऐसा मामला है जिसकी मैं इस दृष्टिकोण से जांच करूंगा कि क्या इसे प्रेस परिषद् को भेजा जा सकता है

श्री समर गुह : जैसा कि श्री लिमये ने बताया सम्पादकीय टिप्पणियों में समाचार के प्रति एक सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है और उनसे कुछ समाचारों को सही प्रचार देने में भी सहायता मिलती है । स्टेट्समैन के संवाददाता साहस दिखा रहे थे और सरकारी पक्ष अथवा विरोधी पक्ष की आलोचना कर रहे थे । इसे ध्यान में रखते हुए स्टेट्समैन के दिल्ली संस्करण और कलकत्ता संस्करण में समाचारों के बारे में अजीब भेदभाव किया जाता था । दिल्ली में कुछ अलग किसम के समाचार प्रकाशित किये जाते हैं और कलकत्ता में कुछ प्रकार के समाचारों को प्रकाशित नहीं किया जाता । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री प्रबन्धकों पर दबाव डाल रहे हैं . . . . (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय से सम्बद्ध बात कहें ।

श्री समर गुह : मुझे पता है । मेरे पास तथ्य हैं ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री स्टेट्समैन के कलकत्ता संस्करण में विरोधी पक्ष के समाचारों को प्रकाशित न करने के लिये स्टेट्समैन के प्रबन्धकों पर दबाव डालते रहे हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त मामले में जांच करेगी । स्टेट्समैन के दिल्ली संस्करण और कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित समाचारों में भेदभाव किया जाता है । उन्होंने स्टेट्समैन के प्रबन्धकों का अपने लाभ के लिये उपयोग किया है । स्टेट्समैन सरकारी दृष्टिकोण की आलोचना कर रहा था । प्रबन्धकों पर इस बात के लिये दबाव डाला गया कि वह सम्पादक, समाचार सम्पादक और संवाददाताओं की स्वाधीनता को कुचलने में सरकार की सहायता करें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सारे मामले की जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के प्रतिप्रबन्धकों द्वारा अत्याचारपूर्ण तरीके अपनाये जाने के बारे में है । यह इस प्रश्न की परिधि से बाहर है । यह स्टेट्समैन की नीति अथवा अन्य मामलों के बारे में आम बहस नहीं है ।

दुनिया के किसी हिस्से पर ऐसा नहीं होता है कि दो तीन से ज्यादा हों । मैं उधर दो खत्म करता हूं तो इधर चार खड़े हो जाते हैं और इधर चार खत्म करता हूं, तो उधर दस खड़े हो जाते हैं ।

श्री समर गुह : मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने स्टेट्समैन के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचारों को प्रकाशित न करने और समाचार सम्पादकों के सम्पादकीय अधिकारों और संवाददाताओं के अधिकारों को कम करने के लिये दबाव डाला ।

Shri Madhu Limaye: The capitalists and you, both are creating chaos.

श्री आई० के० गुजराल : मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री समर गुह को, जो इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और सार्वजनिक जीवन में बहुत अग्रगण्य नेता हैं, इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिये . . . . (**व्यवधान**) मैं सिर्फ यही कह सकता हूं . . . .

श्री समर गुह : मैं इसे जानता हूं, मेरे पास इस बात के तथ्य हैं ।

Mr. Speaker: Don't be so much excited. You may fall ill.

श्री आई० के० गुजराल : मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि स्टेट्समैन सहित किसी भी समाचारपत्र पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है ।

श्री समर गुह : प्रबन्धकों पर कुछ सामग्री प्रकाशित न करने के लिये दबाव डाला गया है । आप इस बात की तहकीकात करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति करें कि वस्तुतः दबाव डाला गया अथवा नहीं । . . . . (**व्यवधान**) ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री सी०आर० ईरानी ने प्रबन्ध-निदेशक के रूप में सम्पादकीय मण्डल के अधिकारों और शक्तियों को हथिया लिया है और क्या श्री ए० वी० शाह द्वारा आरम्भ किये गये नचिकेता पब्लिकेशन्स में स्टेट्समैन ने एक लाख रुपये की पूंजी लगाई है और जिसे सी०आई०ए० से भी धन मिलता है ....

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं देता । यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । यह प्रश्न की सीमा से परे है ।

कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त तथा जांच समिति को प्रत्येक समाचार पत्र ने अपेक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिये हैं, परन्तु स्टेट्समन ने न्यायालय में जाने का निर्णय किया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है अथवा नहीं और स्टेट्समन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । श्री बनर्जी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : स्टेट्समैन के कर्मचारियों द्वारा माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था । मजरी बोर्ड की नियुक्ति होने तक उनके द्वारा मांगी गई अन्तरिम राहत की अपने कर्मचारियों को अदायगी करने के लिए स्टेट्समैन के पास धन नहीं है । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रबन्ध निदेशक श्री ईरानी ने नचिकेता पब्लिकेशन्स को, जो कांग्रेस संस्कृति और स्वातन्त्र्य संगठन से सम्बद्ध है और जिसे सी०आई०ए० द्वारा वित्त-पोषित बताया जाता है, एक लाख रुपये की राशि अदा की ....

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि क्या किसी विशिष्ट प्रकाशन संस्था का स्टेट्समैन ने एक लाख रुपये की अदायगी करके अधिग्रहण कर लिया है .... (**व्यवधान**) यह ज्ञापन में दिया हुआ है । वह 'हां' अथवा 'नहीं' में उत्तर दें ।..................

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे क्यों कहूं ? यह प्रश्न से कतई सम्बद्ध नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान जी, यह स्टेट्समैन के बारे में है । मन्त्री महोदय, 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न के साथ इसकी कोई सगति नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न निश्चित है । अपने कर्मचारियों को देने के लिये उनके पास पैसा नहीं है । परन्तु, इधर श्री ईरानी ने सी०आई०ए० के एक शाखा संगठन नचिकेता पब्लिकेशन्स को एक लाख रुपये की अदायगी की । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सच है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर रहे हैं और उनके विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो इस सदन में उपस्थित नहीं है अथवा अपना बचाव नहीं कर सकते । मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कम से कम प्रश्न के उस भाग का उत्तर तो निश्चित रूप से दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : कौन से भाग का ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिना किसी टिप्पणी के, वह दूसरे पब्लिकेशन के बारे में उत्तर दे सकते हैं कि क्या स्टेट्समैन ने, जो यह कहता है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिये पैसा नहीं है, एक अन्य प्रकाशन संस्था को एक लाख रुपये की अदायगी की है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। इसे प्रेषित कर दिया गया है और मैं उनसे इस बारे में जांच करने के लिये कह रहा हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर : (अहमदाबाद) : आपने ठीक ही कहा कि यह प्रश्न मूलत: स्टेट्समैन के अत्याचारपूर्ण तरीकों के बारे में था। परन्तु मंत्री महोदय ने अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रश्न के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और समाचारपत्रों की स्वाधीनता के समूचे प्रश्न का अध्ययन किया है। इसलिये, श्री सीतलवाड़ की पुस्तक से उद्धरण देकर चूंकि मंत्री महोदय ने अल्पसूचना प्रश्न के दायरे को बढ़ा दिया है, इससे. . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न पर आइये। आपने जो कुछ पूछना है, वह प्रश्न की शक्ल में पूछिये। आप तो बहस में पड़ गये हैं।

****Shri P.G. Mavalankar:

Shri I.K. Gujaral :

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें, तो आप पायेंगे कि वह इन आरोपों को लगा रहे थे। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि वह प्रश्न नहीं पूछ रहें हैं, परन्तु उनके विरुद्ध आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। सदन के वातावरण को वह क्यों दूषित करते हैं ? एक संगत प्रश्न पूछने के बजाय वह मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप पर आरोप क्यों लगाते जा रहे हैं ?

मैंने मंत्री महोदय को बताया कि ये सिर्फ आरोप हैं और उन्हें इनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आरोप के बारे में क्या गलत है ?

Mr. Speaker: You may say whatever you like and if other feels annoyed and reacts, it is bad, you yourself spoil the atmosphere and then make noise.

Shri A.B. Vajpayee: (Gwalior) Sir, I rise on a point of order:

Mr. Speaker: The point of order should not be one sided.

श्री समर गुह : श्रीमन् जी, मेरा व्यवस्था का संबंधी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के अलावा अन्य कुछ भी न कहने सम्बन्धी मेरी चेतावनी के बावजूद, मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप पर आरोप लगाये जा रहे हैं।

Shri A.B. Vajpayee: Mr. Speaker, if it was so, you could have disallowed the question and could have expunged the question from the proceedings. But you cannot allow the Minister to doubt the integrity of a Member. The hon'ble Minister could have objected to his question**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न एक पक्षीय नहीं होना चाहिये। प्रश्नों का पूछना उनके लिये संगत था। परन्तु, उन्हें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहियें और सभी प्रकार के आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें।

Shri Atal Bihari Vajpayee: You could have disallowed it.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया कि वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। परन्तु, वह आरोप के बाद आरोप लगा रहे थे। मैं देखूंगा कि क्या यह आपत्तिजनक है।

Shri A.B. Vajpayee: You see his question and his reply. . . . . .(*Interruptions*). . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों ओर के प्रश्नों और उत्तरों को अस्वीकार करता हूं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the chair.

अब और प्रश्न नहीं । मैंने यह कहा है कि कही हुई प्रत्येक बात को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा ।

अब, श्री नीतिराज सिंह चौधरी ।

Shri Hukam Chand Kachwai: (Morena) Mr. Speaker, Sir, I am trying to raise the question from the beginning, you kindly allow me to ask the question.

Mr. Speaker: One hour has already passed. You ask your question.

Shri Hukam Chand Kachwa' : In reply to Shri Madhu Limaye's question, the honourable Minister has admitted that the management would stop such a mismanagement. It is obvious that the honourable Minister himself wanted to suppress the management, I would like to know whether the questions are admitted by the Minister against those papers which criticise the policy of the Government and not against those which do not criticise the Government?

श्री आई० के०गुजराल : यह एक अजीब किस्म का प्रश्न है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक आरोप लगाया गया था......

अध्यक्ष महोदय : कृपया उक्त मामले की पुनः चर्चा मत कीजिये :

श्री आई० के० गुजराल : मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा । मैं तो उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि मेरे माननीय मित्र श्री समर गुह यह महसूस करते हैं कि प्रबन्धक हमारे दबाव में हैं और श्री कछवाय भी यह महसूस करते हैं कि वे हमारे दबाव में हैं । ये दोनों परस्पर-विरोधी हैं । अब इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है, मुख्य बात तो यह है कि श्रमिक पत्रकारों ने मुझसे अभ्यावेदन किया था और मुझे सभी कागजात दिये थे । जैसा कि मैंने सदन के समक्ष कहा कि निश्चित रूप से मुख्य बात है सम्पादकों और पत्रकारों के लिये अभिव्यक्ति की स्वाधीनता और मेरे विचार में सदन के सभी पक्ष समान रूप से इस बारे में चिन्तित होंगे । अतः, अगर मेरे मित्र यह महसूस करते हैं कि प्रबन्धकों का कोई मामला है, तो मेरे विचार में इस मूलभूत विचार की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता की हर हालत में रक्षा की जानी चाहिये ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में अधिसूचना

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी):

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 447 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 4 दिया हुआ है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 5613**/73]

पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता तथा मैसूर राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) :

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(क) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) मैसूर राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—5614/73]**

वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्मप्रसाधन) अधिनियम, 1973

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) :

(3) (एक) वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वन्य प्राणि (संव्यवहार तथा चर्मप्रसाधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 198 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—5615/73]**

पोर्ट ब्लेयर सेवा के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4426 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राणा) :

(4) भारतीय जहाजरानी निगम की मद्रास-पोर्ट ब्लेयर सेवा में घाटे के सम्बन्ध में श्री शंकर राव सावन्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 4426 के 27 अगस्त, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–5616/73]**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) :

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) टैक्सटाइल (बुनाई, कशीदाकारी, लेस निर्माण और छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०आ० 1185 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा०आ० 1186 जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें अधिसूचना संख्या सा०आ० 3166 दिनांक 21 जुलाई, 1971 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1973 में अधिसूचना सा०आ० 2412 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–5617/73]**

संसद और राज्य विधान मण्डलों के स्वतन्त्र सेनानी सदस्यों को पेंशन देने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1582 तथा उत्तर प्रदेश में सेना तथा प्रान्तीय शास्त्र पुलिस के बीच गोलाबारी में

हताहत व्यक्तियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4862 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण।

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन):

(6) (एक) संसद् और राज्य विधान मण्डलों के स्वतन्त्रता सेनानी सदस्यों को पेन्शन देने के बारे में श्री रामावतार शास्त्री के अतारांकित प्रश्न संख्या 1582 के अगस्त, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

उत्तर प्रदेश में सेना तथा प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के बीच गोलाबारी में हताहत व्यक्तियों के बारे में श्री आर०आर० सिंह देव के अतारांकित प्रश्न संख्या 4862 के 29 अगस्त, 1973 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–5618/73]**

डाक तथा तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1971-72 के लाभ तथा हानि लेखे और सन्तुलन पत्र

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): वर्ष 1971–72 के लिये भारतीय डाक तथा तार विभाग की दूर संचार शाखा के लाभ तथा हानि लेखे और सन्तुलन पत्र (प्राप्ति के आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०–5619/73]**

भारतीय नौसेना सहायक सेना विनियम, 1973

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक): नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना सहायक सेवा विनियम, 1973 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०नि०आ० 232 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-5620/73]**

बिहार राज्य में बैंकिंग की धीमी प्रगति के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (एक) बिहार राज्य में बैंकिंग की धीमी प्रगति के बारे में कुमारी कमला कुमारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के 17 अगस्त, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० संख्या–5621/73]**

आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित नौ विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5622/73]**

याचिका समिति
Committee on Petitions

कार्यवाही सारांश

अध्यक्ष महोदय : श्री ए०पी० शर्मा अनुपस्थित हैं। श्री इसहाक सम्भली भी अनुपस्थित हैं।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन): मैं भी समिति का सदस्य हूं। अतः मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले वह दोनों सदस्यों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट करें और उनकी ओर से सभा-पटल पर कार्यवाही सारांश रखें।

एक माननीय सदस्य : श्री इसहाक सम्भली अभी अभी आये हैं।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : मैं अनुपस्थिति के लिये क्षमा चाहता हूं। मैं याचिका समिति की 22वीं से 30वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 3 सितम्बर, 1973 की अपनी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1973 से, जो लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा 3 सितम्बर, 1973 की अपनी बैठक में विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक, 1973 से, जो लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

(तीन) राज्य सभा 4 सितम्बर, 1973 की अपनी बैठक में भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1973 से, जो लोक सभा द्वारा 29 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

(चार) कि राज्य सभा की उड़ीसा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 28 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 29 अगस्त, 1973 को पास किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1973
(2) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

40 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं :—

(1) सरकारी उपक्रमों की भूमिका तथा उपलब्धियों सम्बन्धी 40वां प्रतिवेदन

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति की बैठकों के कार्यवाही–सारांश

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
Committee on Government Assurances

छठा प्रतिवेदन

श्री सी० के० जाफर शरीफ (कनकपुरा) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

13वां प्रतिवेदन

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : मैं याचिका समिति का 13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने देश की राशन की दुकानों को खाद्यान्नों की सप्लाई में कमी के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अथवा इसको पढ़कर सुनाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री के०एस० चावड़ा (पाटन) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : शांति-शांति ! अब विवरण सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE: GRANT OF ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की तीन किस्तें मंजूर की गयी थीं, जिनमें अंतिम किस्त एक अगस्त 1972 से लागू हुई थी।

2. वेतन आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ साथ, यह सिफारिश की है कि महंगाई भत्ता, वेतन आयोग द्वारा जिस संशोधित वेतन ढांचे की सिफारिश की गई है उसके संदर्भ में दिया जाना चाहिये। वेतन आयोग ने जिस संशोधित वेतन ढांचे की सिफारिश की है वह अक्तूबर 1972 को समाप्त अवधि के लिये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) से संबंधित है, और यह सूचकांक तब 200 के अंक पर था। वेतन आयोग की सिफारिश यह है कि महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के बारह महीने के औसत में हुई प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि के लिये दिया जाये, जिन्सों के थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में नहीं दिया जाये। इसलिये इन सिफारिशों की शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता तब देय बना, जब औसत सूचकांक 30 अप्रैल 1973 को 208 के अंक पर पहुंच गया।

3. महंगाई भत्ता फार्मूले के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की छानबीन चलते हुए, प्रतिमास 575 रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, पूर्व में मंजूर अंतरिम सहायता के अलावा, 1 मई 1973 से अस्थायी तौर से अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त तभी देय बन सकती है जब अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग सूचकांक (आधार 1960=100) की बारह महीने की औसत 216 के अंक पर पहुंच जाये।

जो न्यूनतम औसत सूचकांक फिलहाल उपलब्ध है, वह जून 1973 को समाप्त महीने के लिये है और 214.16 के अंक पर है। जुलाई 1973 को समाप्त महीने के लिये बारह महीने का औसत सूचकांक इस महीने के उत्तरार्द्ध में किसी समय उपलब्ध होने की आशा है, जब स्थिति की फिर से समीक्षा की जा सकती है।

श्रद्धानंद कालेज, दिल्ली के निकट हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य
Statement Re:incidents near Shardhanand College, Delhi

गृह मन्त्रालयमें उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : महोदय, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 अगस्त, 1973 को प्रात: 9 बजे श्रद्धानन्द कालेज, अलीपुर के छात्रों ने दिल्ली परिवहन निगम की एक बस को कालेज के आगे रोक लिया तथा उसके टायरों की हवा निकाल दी। जी०टी० रोड पर बस को तिरछा खड़ा किया गया जिससे सारा यातायात बन्द हो गया। बताया जाता है कि कुछ छात्रों ने पथराव किया। हिंसा के कार्य न करने के लिये उनको यथोचित चेतावनी दी गई। किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं निकला। जब दिल्ली परिवहन निगम की बस जलाने की चेष्टा की गई तो अश्रुगैस छोड़ने के आदेश दिये गये। बताया जाता है कि अलीपुर थाने के एक कांस्टेबल पर भी छात्रों द्वारा आक्रमण किया गया और उसे कालेज के प्रांगण में जहां से पथराव किया जा रहा था ले जाया गया। तब पुलिस को कालेज के प्रांगण में प्रवेश करने का आदेश दिया गया। कालेज के प्रिंसिपल तथा छात्रों से बातचीत करके दोपहर बाद स्थिति नियन्त्रण में लाई गई।

दिल्ली प्रशासन ने 22 अगस्त, की घटना की जिसमें दिल्ली परिवहन निगम के कुछ कन्डक्टरों द्वारा श्रद्धानन्द कालेज के छात्र पर तथाकथित आक्रमण किया गया था मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आदेश भी दिया है। परिवहन प्रबन्धों के सम्बन्ध में छात्र समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : श्री महादीपक सिंह शाक्य के 16 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 728 के उत्तर के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा गया था कि बी०सी०जी० टीका कार्यक्रम अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।

इस वक्तव्य की बाद में जांच की गई तथा मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बी०सी०जी० टीका कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से पृथक योजना नहीं है वरन् इसका ही एक समेकित हिस्सा है।

खेद है यह त्रुटि पहले ध्यान में नहीं आई।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को गेहूं के आवंटित किए जाने वाले गेहूं की मात्रा में कमी करने के सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य
Statement Re:Government's Decision to reduce the quantum of allotment of wheat to U.P. and other States

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन प्रत्येक मास केन्द्रीय पूल में समूची उपलब्धता और सभी कमी तथा सूखे से प्रभावित राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान रख कर किया जाता है। पिछले वर्ष अपर्याप्त और अनियमित वर्षा होने और उसके फलस्वरूप देश के बहुत बड़े भाग में सूखा पड़ने के कारण देश में खाद्यान्नों की सप्लाई स्थिति कठिन हो गई जिससे राज्य सरकारों की सारी मांगें पूरी करना संभव नहीं हुआ है। फिर भी, सूखाग्रस्त तथा कमी वाले राज्यों की जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

गेहूं की अधिप्राप्ति में गिरावट आने के कारण खाद्यान्नों का आयात कर स्टाक की भरपाई करने का निर्णय किया गया था। क्योंकि अगली रबी की फसल के आने नक गेहूं की सप्लाई बराबर बनाये रखना जरूरी है इसलिये केन्द्रीय पूल में मौजूदा उपलब्धता और विदेशों से प्रत्याशित आयातित मात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई का विनियमन करना होगा। चालू खरीफ फसल की संभावनाओं को देखते हुए सितम्बर के दौरान उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को गेहूं के आवंटन में कटौती की गयी थी। उत्तर प्रदेश के मामले में आवंटन में कटौती से कोई अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिये क्योंकि उत्तर प्रदेश चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की दृष्टि से अधिशेष राज्य है और हाल ही में वहां दूर दूर तक वर्षा होने से खरीफ की फसलों की संभावनाओं में व्यापक रूप से सुधार हुआ है।

केरल में खाद्यान्न के अत्यधिक अभाव के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: ACUTE SHORTAGE OF FOODGRAINS IN KERALA

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य
Statement

केरल खाद्यान्नों की दृष्टि से कमी वाला राज्य है और उसे केन्द्र से सप्लाई पर निर्भर करना पड़ता है। केरल की चावल की मासिक मांग 70 से 75 हजार मी० टन है। 1972 के अन्त तक केरल को चावल का कोई औपचारिक आवंटन नहीं किया जाता था। राज्य सरकार को अपनी सरकारी वितरण की जरूरतें पूरी करने के लिये भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय डिपों से चावल की पूरी मात्रा लेने की इजाजत दी गई थी। इन डिपों में केन्द्रीय स्टाक पड़ा है। 1972-73 के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ने के कारण खरीफ की फसलों को भारी क्षति पहुंची थी, केन्द्र को राज्यों की खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि करनी पड़ी थी और इससे केन्द्रीय पूल में स्टाक पर काफी दबाव पड़ा। चालू खरीफ मौसम के दौरान चावल की अधिप्राप्ति में कमी आने के कारण केन्द्रीय पूल में चावल की उपलब्धता पर भी असर पड़ा। विश्व के बाजारों में भी चावल की उपलब्धता बहुत ही कम है और मूल्य बहुत ही ऊंचे हैं। अतः विदेशों से चावल खरीद कर स्टाक की भरपाई करना संभव नहीं हुआ है। मई, 1973 से केरल समेत सभी कमी वाले राज्यों के चावल के आवंटन में कटौती करनी पड़ी थी। चावल की सप्लाई में कटौती को पूरा करने के लिये गेहूं की सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई थी। केरल को जनवरी से अप्रैल, 1973 तक गेहूं का मासिक आवंटन केवल 7000 मी० टन था और मई से इसे बढ़ाकर 30 से 35 हजार मी० टन कर दिया गया था। अतः कुल मिला कर केरल को खाद्यान्नों के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई थी। केरल को जनवरी से जुलाई, 1973 के दौरान कुल 542.9 हजार मी० टन खाद्यान्न सप्लाई किये गये थे जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 497.7 हजार मी० टन खाद्यान्न सप्लाई किये गये थे।

यह सुनिश्चित करने के लिये पग उठाये गये हैं कि केरल में भारतीय खाद्य निगम के डिपों में पर्याप्त मात्रा में स्टाक पड़ा रहे।

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य का वक्तव्य और उस पर मन्त्री का उत्तर
STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Speaker, Sir. I would like to make a brief statement. On 9-8-1973 the Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry, Prof. Siddheshwar Prasad in reply to his unstarred Question No. 2625 stated that all the companies except M/s Escorts Limited started manufacture of scooters, mopeds etc. with foreign collaboration. This statement is absolutely wrong. Can the hon. Minister deny that M/s Kinetri Engineering Private Limited Bombay, Poona Road, Chinwad, Poona-16, produced mopeds and that they started production without any foreign collaboration ? The Minister is trying to defend the Government's

untenable decision to extend the period of foreign collaboration agreement of mopeds India Limited, a Coimbatore firm, with a foreign firm for a further period of 3 years by making a wrong statement. The Minister should be asked to give the correct position and to express regret for misleading the House.

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, इस बात का खन्डन नहीं किया जाता है कि मैसर्स कीनेटिक इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बिना विदेशी सहयोग के मोपेडों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है । लोक सभा में 9 अगस्त 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के भाग (ग) के उत्तर में मैसर्स कीनेटिक इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम भूल से छूट गया है । इस गलती के लिये मैं खेद प्रकट करता हूं । उत्तर में यह कहा गया था कि मोपेडों की निर्माता कम्पनियों में से एक कम्पनी विदेशी सहयोग कर रही है । यह कम्पनी मैसर्स मोपेड इंडिया है ।

इस मामले में वैध कारणों से रायल्टी की घटाई गई अदायगी पर तीन वर्षों की अग्रतर अवधि के लिये सहयोग बढ़ाया गया है । यह एकक विशेषकर फ्रांस की एक फर्म के सहयोग से कुछ समय तक उत्पादन करता रहा है जिसमें विदेशी सहयोगकर्त्ता की विशेष रूप से पेटेंट की हुई प्रक्रिया का इस्तेमाल निहित है । इसलिये सरकार ने तीन वर्षों की अल्पतम अग्रतर अवधि के लिये उनके सहयोग करार को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है । इसकी शर्त यह है कि तीन वर्षों की बढ़ाई गई अवधि के अन्दर वे अपनी गाड़ी का पूर्णरूप से देशीकरण करेंगे और तीन वर्षों की बढ़ाई गई अवधि के पश्चात पेटेन्ट की हुई प्रक्रिया और जानकारी का इस्तेमाल करने के लिये पूरा और अबाध अधिकार प्राप्त करेंगे ।

वैध कारण से इस वृद्धि की स्वीकृति देने पर जारी रहने वाले सहयोग के रूप में इस स्थिति के उत्तर में विशेष-रूप से उल्लेख किया गया था । एक एकक के नाम का भूल से उल्लेख न करना जिसका खेद है इस प्रकार सहयोग की अवधि बढ़ाने के बारे में निर्णय अथवा विदेशी सहयोग के बिना एककों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri A.B. Vajpayee : (Gwalior) Sir, yesterday an issue regarding reducing the quota of wheat to various states was raised here. You said that he would make a statement. According to the order Paper there is no question of laying the statement on the Table, so he should make the statement in the House and Members should be allowed to seek clarification.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : संख्या 18 से 22 तक के सभी मदों से सम्बन्धित पत्र सभा पटल पर रख दिये गये हैं जबकि वे सभा में पढ़े जाने चाहिये ।

Mr. Speaker: I have no objection if he reads them.

Shri A.B. Vajpayee: I have read it. The quota for Uttar Pradesh has been reduced to half. The Minister is misleading the House by giving wrong information. I would like to know the quota for each state.

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार वक्तव्यों पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : नियम तो यह भी अनुमति नहीं देते कि ऐसे वक्तव्य सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

श्री एस० एम० (कानपुर) : मैंने आपको सवेरे ही यह लिख दिया था कि मैं कार्य सूची के मद संख्या 18 और 21 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं !

श्री समर गुह (कंटाई) : माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा है । मेरा स्थगन प्रस्ताव ठीक इसी विषय पर था । सम्पूर्ण देश में अन्न की कमी है । सभी राज्यों को अनाज की सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Such statements should be read in the House and not laid on the Table.

अध्यक्ष महोदय : इस अल्प सूचना पर वह सभी राज्यों के बारे में जानकारी कैसे दे सकते हैं ? हां, वह दोनों वक्तव्यों को पढ़ सकते हैं।

Shri A.B. Vajpayee : There will be no advantage by mere reading them in the House, if we are not allowed to ask questions thereon.

Mr. Speaker : How can I violate the rules?

Shri A.B. Vajpayee : Then there is no need of even reading them.

Mr. Speaker : All right, they will not be read.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, I want to raise an important issue in the House. I read in the newspapers that an institution called J. K. Organisation has contradicted the statement which I made in this House in regard to the fraud in the Bank of Baroda. It has alleged that I made a wrong statement. On the basis of the Lok Sabha proceedings I want to make it clear that I never said that the cheques of J.K. Organisation had bounced. I did not say that the J.K. Organisation had an account in the Bank of Baroda. I mentioned the names of J.K. Cotton J.K. Rayons and other companies and said that they had their accounts in the branch of Punjab National Bank located in Nayaganj, Kanpur and their 73 cheques had bounced in the first 6 months of 1973. It is really strange that these companies and the Punjab National Bank are silent on this matter while an organisation which has not been even mentioned is casting a reflection on me and making an allegation of mis-statement against me. No doubt, I mentioned the names of J.K. Cotton, J.K. Rayons, J.K. Electronics and others companies to which the cheques belonged, along with the dates and number of those cheques. I do not know what this J.K. organisation is. In my opinion this is a question of breach of privilege. If such allegations are made against M.P.s it will not be possible for them to discharge their parliamentary duties. I can understand if my statement could have been contradicted by the companies mentioned by me. I request that this matter be referred to the Privilege Committee under rule 227.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम माननीय सदस्य का पूर्ण समर्थन करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह किसी एजेन्सी का समाचार है।

श्री अमृत नहाटा : यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : जे०के० आर्गेनाइजेशन, कानपुर के सेक्रेटरी ने समाचार पत्रों के लिये यह वक्तव्य दिया था कि एक समाचार में श्री मधु लिमये, संसद सदस्य, ने संसद में बैंक आफ बड़ौदा में हुए घोटाले का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि जे०के० आर्गेनाइजेशन द्वारा दिये गये कई चैक लौटाये गये। उक्त संगठन का खाता बैंक आफ बड़ौदा में नहीं है। माननीय सदस्य ने जे०के० आर्गेनाइजेशन का नाम इस संदर्भ में गलत लिया है।

मैंने सभा का कार्यवाही वृतांत देखा है। श्री मधु लिमये ने जे०के० ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज का उल्लेख किया था, जे०के० आर्गेनाइजेशन का नहीं। अब इस पर श्री मधु लिमये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैंने उन्हें एक वक्तव्य देने की अनुमति दी है। लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न किसके विरुद्ध होगा ? आर्गेनाइजेशन ने इसका आधार समाचारपत्रों में छपी खबर को बताया है। माननीय सदस्य उस समाचार पत्र का नाम बतायें जिसने गलत समाचार छापा है।

Shri Madhu Limaye : No newspaper has given this news. The name of J.K. Organisation has not been mentioned in any news report. This is fabrication on the part of this Organisation.

Mr. Speaker: I will ask the Hindustan Times as well as J.K. Organiasation about it. If I am not satisfied with their explanations, it will be referred to the Privilege Committee.

Shri Madhu Limaye: Sir, I am not in hurry, you take your own times in enquiring into it. But I donot want monopoly houses should come in the way of M.P.s in discharging their Parliamentary duties.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में स्वयं छानबीन करूंगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठा था कि क्या विदेश मंत्री द्वारा नेता जी जांच आयोग को दिये गये सुझाव के पाठ को सभा पटल पर रखा जाये या नहीं । आपने माननीय मंत्री को वह पत्र देने के लिये कहा था ताकि आप यह देख सकें कि क्या सभा को उसका ठीक सारांश दिया जा सकता है अथवा नहीं । यदि आप इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि उक्त पत्र का सारांश दिया जा सकता है, तो वह दे दिया जाना चाहिये । क्योंकि 10 सितम्बर से नेता जी जांच आयोग का तर्क-सत्र प्रारम्भ होने वाला है और उक्त आयोग की सहायता के लिये राष्ट्रीय समिति की ओर से श्री अशोक सेन बहस करेंगे । उस बहस के लिये संदर्भाधीन पत्र के विषय का ज्ञान होना आवश्यक है । उस पत्र के आधार पर ही यह देखा जा सकेगा कि क्या जांच आयोग ने निदेश पक्षों के अनुसार काम किया है या न्यायाधीश खोसला ने सरकार के निदेशों के अनुसार काम किया ; क्या जांच निष्पक्षता से की गई अथवा नहीं । यदि इस पत्र का पाठ हमें न मिला तो उसके लिये हमें सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी । अतः मेरा अनुरोध है कि उस पत्र का ठीक सारांश हमें दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि गत सत्र में मेरे द्वारा पूछे गये नौ प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने कहा था कि जानकारी एकत्र की जा रही है । आज चार महीने बीत जाने पर भी वह जानकारी सभा पटल पर नहीं रखी गयी है । इस प्रकार सभा का काम कैसे चलेगा और हम सरकार से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकेंगे ।

अन्तिम बात यह है कि मैंने फिलिप्स कम्पनी के बारे में एक प्रश्न पूछा था और मन्त्री ने उसके उत्तर में तथ्य छिपाये तथा जानकारी तोड़-मरोड़ कर दी । इस बारे में मुझे विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विदेश मंत्री द्वारा भेजे गये पत्र का सम्बन्ध है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह उसका ठीक सारांश था । जहां तक उसे आपको देने का सम्बन्ध है, वह आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह मुझे उन्होंने इस विश्वास के साथ भेजा है कि वह उन्हें वापस लौटा दिया जायेगा ।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : भारतीय जीवन बीमा निगम के पास दिल्ली के बीच में लगभग 1000 वर्ग-गज जमीन है जिसका मूल्य लगभग 30 लाख रुपये है, किन्तु जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने स्वय उसका सौदा केवल चार लाख रुपये में कर दिया । मैं चाहता हूं कि मन्त्री इस बारे में वक्तव्य दें और मामले में जांच करें । यदि इसमें सरकारी धन का गोलमाल हो, तो जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को तत्काल निलम्बित किया जाये ।

श्री बी०वी० नायक (कनारा) : ऐसा निदेश दिया जाना चाहिये कि नियम 377 के अन्तर्गत जब भी कोई मामला पूर्व सूचना दिये जाने पर उठाया जाये, तो सम्बद्ध मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैसर्स कर्मचन्द थापर नामक फर्म लगभग 2500 एकड़ जमीन अधिगृहीत कर रही है । इससे लगभग 10,000 लोग प्रभावित हो रहे है । यह जमीन साधारण नमक बनाने के लिये ली जा रही है और इससे बाद में कास्टिक सोडा तैयार किया जायेगा । यह जमीन न केवल फैक्टरी के लिये बल्कि कच्चा माल तैयार करने के लिये ली जा रही है । इस फर्म ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम का उल्लंघन किया है । अतः इस फर्म का लाइसेंस रद्द किया जाये । मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय स्वयं वहां का निरीक्षण करें और न्यायोचित निर्णय करें ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna). Many Districts of Bihar have been hit by draught and there is shortage of foodgrains. No ration is available in the fair price shops.

Sufficient quantity of foodgrain needs to be allocated to Bihar for meeting acute food shortage there. Blackmarketeers' shoulud be dealt with under DIR in Bihar.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार ने उत्तर प्रदेश के गेहूं के कोटे में कटौती कर दी है । इसलिये वहां के लोग आन्दोलन कर रहे हैं । राष्ट्रपति राज में उत्तर प्रदेश में इतना अन्न संकट है । सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये ताकि उत्तर प्रदेश में अन्न के मामले पर दंगे न हों ।

Shri Atal Bihari Vajpayee Gwalior): Thousands of Delhi Teachers are on 24 hours hunger strike for expressing their resentment for not implementing the Delhi Education Act passed in the last session of Parliament. The Pay commission has also not done justice to them I want that the grievances of the Teachers should be looked into favourably by the Government.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : दिल्ली के अध्यापक भूख हड़ताल करके अध्यापक दिवस मना रहे हैं । उनकी मांगों की ओर अनेक वर्षों से कोई ध्यान नहीं दिया गया । सरकार को अध्यापकों की मांगों को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । अध्यापकों को अकारण बदल देना अनुचित है ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): I want to raise the following question under rule 377. Thousands of employees of the sholapur—Doud line of South Central Railway are demanding for the last one year for including this railway in the Central Railway. They have started agitation from 24th. We want the hon. minister to intervene and take necessary steps for meeting their demands.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : भारत के राष्ट्रपति ने आज अपील जारी की है कि अध्यापक नये भारत के शिल्पी हैं और हमें उनकी सहायता करनी चाहिये ।

लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यापकों के साथ हो रहा है और विशेषत: जो ओ०सी०टी० यू० के साथ हुआ, वह निश्चय ही निंदनीय है ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही हैं वे सचमुच रहस्यपूर्ण हैं । श्री ह्र के स्थान पर जो नई नियुक्ति हुई है वह पक्षपातपूर्ण तथा राजनैतिक है । इस सारे मामले की जांच होनी चाहिये ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों ने गत वर्ष वेतन कटौती के विरुद्ध आन्दोलन किया था । मंत्री महोदय ने आदेश भी जारी किये थे लेकिन अब तक भी कर्मचारियों को अदायगी नहीं की गयी । मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों को 10 सितम्बर से पहले अदायगी की जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पश्चिम बंगाल सरकार गेहूं के मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिये अनुरोध करती आ रही है लेकिन बढ़ाने के बजाय कोटा घटाकर प्रति मास एक लाख टन कर दिया गया है । इस प्रकार की कटौती से जन वितरण प्रणाली धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं क्या चावल लोगों के घरों में पहुंचेगा या काले बाजार में ?

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : बम्बई के डाक्टरों की हड़ताल देश भर में फैलती जा रही है । हड़ताल दिल्ली भी पहुंच गयी है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस स्थिति पर वक्तव्य दें ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । उड़ीसा में हाल की बाढ़ से बालासोर, कटक और म्यूरगज के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाढ़ पीड़ित लोगों को यथाशीघ्र सहायता प्रदान करे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने आतंक फैला रखा है । वहां न जीवन सुरक्षित है और न ही सम्पत्ति । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर क्या कर रही है । मेरा यह भी निवेदन है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के मामले में कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये ।

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar): I request the Government to supply maximum quantity of fertilizer to Ganganagar District of Rajasthan. There is also shortage of cement and coal. All the demands of people should be met because there is a lot of resentment over these issues.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : शोलापुर डिविजन को केन्द्रीय रेलवे में शामिल करने सम्बन्धी आन्दोलन से माल तथा यात्री गाड़ियों के आवागमन पर बुरा प्रभाव पड़ा है । मन्त्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री पी०एम० महता (भावनगर) : एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन गुजरात तेल तथा मूंगफली का क्रय करती है । कार्पोरेशन ने अधिक दाम देकर घटिया प्रकार की मूंगफली का क्रय किया है । इस भ्रष्टाचार से मन्त्री तथा विधायक सम्बद्ध हैं । कार्पोरेशन को डेढ़ करोड़ रुपये की हानि हुई है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कार्पोरेशन के कार्यों की जांच करनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : L.I.C. has sold a plot of 1000 sq. yards situated at Sadar Bazar to an organisation of Big Business. This action has caused a loss of Rs. 26 lakhs to policy holders and Public. It's chairman has purchased a Flat from a Cooperative Society in Bombay. He has paid an instalment amounting to Rs. 25,000 and rented the flat to West German Consulate as a monthly rent of Rs 4000. But even the Municipal taxes are not being paid.

Delhi Administration is supplying rotten bread to poor children in Motia Khan area of Delhi. This should not be allowed to happen. Enquiries should be held about the utilization of L.I.C. Funds. The hon. Minister should make statement about the strike of doctors.

Shri Shiv Shankar Prasad Yadav (Khagaria): Sir, a Professor of Jawaharlal Nehru University applied in hindi language for a Passport on 24th August, 1973. He has been asked to apply in English language. I had submitted a Short Notice Question in this regard. Such a behaviour towards a national language is a shameful act. The position should be clarified.

पांचवी योजना के दृष्टिकोण के बारे में प्रस्ताव—जारी
MOTION RE: APPROACH TO THE FIFTH PLAN—*Contd.*

श्री के० पी० कृष्णन (बडगारा) : इस विषय पर अगले सत्र में भी चर्चा जारी रहनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री जी० विश्वनाथन (वन्दीवाश) : अगले सत्र तक तो आयोजना का "प्रारूप" तैयार हो चुका होगा अतः उस समय इस पर चर्चा कैसे हो सकेगी ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरमैया) : जहां तक हो सके हम इस पर आज चर्चा करें उसके पश्चात् शेष भाग पर अगले सत्र में विचार करेंगे ।

श्री सेझियान (कुभंकोणम्) : आयोजना पर चर्चा हमेशा सत्र के अन्त के समय होती है और तब उसे अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने आयोजना पर चर्चा के लिये तीन दिन का समय नियत किया था पर इस समय में अन्य विषय उठाये गये ।

Shri Madhu Limaye : One Minister should intervene in the debate to-day and then Shri D.P. Dhar, Planning Minister should reply to the Debate in the next session. when we continue the Debate.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 30 मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch thirty minutes past fourteen of the clock.

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजकर बत्तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty two minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री अमृत नहाटा (बाडमेर) : आज की आर्थिक कठिनाईयां वास्तव में "आयोजन की छुट्टी" व अपंग आयोजनाओं का ही परिणाम हैं। इन परिस्थितियों के लिये तो आयोजना अत्यावश्यक है, क्योंकि सुनियोजित प्रयासों द्वारा ही हम इन कठिनाईयों को हल कर सकते हैं। जहां तक आयोजना के प्रति दृष्टिकोण की बात है इस बारे में मतभेद नहीं हो सकता कि इससे अच्छा दृष्टिकोण नहीं हो सकता। पांचवी योजना के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता स्तरों के पुनःवितरण के द्वारा गरीबी का उन्मूलन है। योजना का दूसरा उद्देश्य अधिक निर्यात, आयात प्रतिस्थापन और अनावश्यक वस्तुओं के नियात पर रोक के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

यह कहा जाता है कि विकासशील देशों में विकास की अर्थव्यवस्था असफल हो गई है और इसके आधार पर विश्व बैंक स्रोतों द्वारा कहा जा रहा है कि न्याय के दृष्टिकोण से ही स्वतः विकास होगा। वास्तव में विकास की अर्थव्यवस्था असफल नहीं हुई है। वस्तुतः आज जिसे न्याय कहा जा रहा है वह न्याय नहीं वह तो केवल कल्याणवाद है जिसके अन्तर्गत अधिक शिक्षा, अधिक सड़कें, स्वास्थ्य सुविधायें आदि आती हैं और ये सब भी उस सामाजिक व्यवस्था में सम्भव नहीं जिसमें विकास अवरुद्ध हो चुका हो। मेरा तो मत यह भी है कि न्याय की स्पष्ट व्याख्या की जाये। श्रमिक को उसके श्रम का पूर्ण फल प्राप्त होना ही न्याय है और यह न्याय ही विकास का सहायक हो सकता है। कल्याण कार्यों पर किये गये व्यय से तो बहुत लम्बे अर्से के पश्चात् ही फल प्राप्त हो सकते हैं परन्तु उतनी अवधि के लिये प्रतीक्षा करना ही दुष्कर है।

दृष्टिकोण पत्र में उल्लिखित उद्देश्य बहुत ही समेकित हैं और उनके बारे में अपनाई गई नीति भी बहुत वैज्ञानिक है। यह हमारी वर्तमान अपेक्षाओं के अनुकूल है। 5.5 प्रतिशत विकास दर से 18 प्रतिशत बचत की वार्षिक दर प्राप्त की जा सकती है। आज तक हम 12 प्रतिशत से अधिक बचत दर प्राप्त नहीं कर पाये। परन्तु 12 प्रतिशत की वर्तमान दर से 18 प्रतिशत की दर प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक प्रयासो की आवश्यकता है। 1960 के दशक में हमारे विकास की औसत दर केवल 3.8 प्रतिशत थी। अतः वर्तमान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सारे राष्ट्र के द्वारा महान प्रयासों की आवश्यकता है।

इस दृष्टि से योजना प्रारूप में कुछ नीतियों का उल्लेख किया गया है। परन्तु उनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है यदि हमें विकास की उपरोक्त दर प्राप्त करनी है तो हमें यह स्पष्ट करना होगा। उसके लिए कठोर निर्णय भी करने होंगे। आज जो अनिर्णय का वातावरण व्याप्त है उसे ठीक करना है और लोगों को बताना है कि सरकार इस बारे में गम्भीर है।

आज तक किसी न किसी बहाने स्वीकृत सिद्धांतों की आहुति दी जाती रही जिसका परिणाम यह रहा कि हम अपने उद्देश्यों से दूर होते गये। स्थिति यह है कि आज सरकार के मन्त्रालयों के कार्य में भी कोई समन्वय नहीं है। योजना आयोग केवल मात्र सलाहकारी निकाय न रह कर मन्त्रालयों के ऊपर निकाय बन गया है। यदि यही स्थिति रही तो 5.5 प्रतिशत विकास दर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। योजना दस्तावेज में सुझाव है कि जब तक भूमि सुधार नहीं किये जाते, भूमि का पुनः वितरण नहीं किया जाता और जब तक हम अपने लाखों ग्रामीणों को रोजगार नहीं देते हम आयोजित विकास प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इस बारे में अनेक कानून बनाये गये हैं परन्तु यह सभी कागजी कार्यवाही ही रही है आयोजित विकास प्राप्त करने के लिये इनको वास्तविकता का रूप देना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार पांचवीं पन्चवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिये एक प्रभावी एवं सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भी बहुत आवश्यकता है। दैनिक आवश्यकता की सभी जरूरी वस्तुओं के लिये इस प्रकार की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिये। इस प्रकार की वितरण व्यवस्था के बिना मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता और न ही मुद्रा स्फीति पर ही नियन्त्रण किया जा सकता है। इस सब के साथ ही पांचवीं योजना के सफल कार्यान्वयन के लिये वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता है।

श्री अमृत नहाटा : आयोजित विकास की सबसे बड़ी बाधा जीवन स्तर का बहुत ऊंचा हो जाना है। दुःख की बात है कि हमारे मंत्री भी इसके शिकार हो जाते हैं तभी तो करोड़ों रुपये टेलीविजन, जेम्बू जेटों और ऊंचे स्तर के होटलों के लिये आवंटित किया है।

अब तक हमारा आयोजन सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रहा। गैर-सरकारी क्षेत्रों में विलास सामग्री के लिये विदेशों से सहयोग किये जाते हैं। देश की अवश्यकता मोटे कपड़े की है अतएव बढ़िया कपड़ा नहीं बनाया जाना चाहिये। खाद्य तेलों का निर्माण किया जाना चाहिये। विलास की सामग्री के लिये अधिक विदेशी मुद्रा आवश्यक है। अतः इसका आयात बन्द किया जाना चाहिये।

योजना में आम लोगों के सम्मिलित किये जाने की बातें तो बहुत की जाती हैं। इसका अर्थ है सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में मजदूरों का सम्मिलित किया जाना।

राजस्थान में पेय तथा दूसरे जल के वितरण का कार्य उचित रूप से किया जाना चाहिये। योजना में जनता के सम्मिलित किये जाने के उपक्रम को सफल बनाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने उनके दल के प्रत्येक सदस्य को सात मिनट देने को कहा है। कल का पूरा दिन ले कर भी ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): यह मामला राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण है अतएव अधिक समय दिया जाना चाहिये।

Shri Sarbara Singh (Hoshiarpur) : Some people feel that the planning in this country has been defective. In first plan we decided to build up an industrial base and to increase the growth rate. In the second plan we decided to reduce the gap between the rich and the poor. In the third and fourth Plan we built up agricultural base. In short in the past 20—22 years the nation has made same progress. In the approach paper for fifth plan it is stated to be comprehensive one. The growth rate should be 8 or 10 per cent.

The approach paper from the Fifth Plan provides from removal of disparities in rural areas. The difficulty with our planning is that we are not able to do what we prepare to do. It is necessary for us to enhance our exports and produce our necessities of life in the country. The growth rate is consumed by increasing population. It is 55 crores today and would increase further in next 5—7 years.

As regards the rural economy it cannot be improved with the distribution of land. The rural section should be provided with such infra-structure that it may provide them with some employment opportunities. In our country 75% of the population depend on agriculture. The plan has provision wealth 7000 crores for agriculture.

We are importing grains from distribution. This has been done in every state.

The yield is declining. The targets fixed for the states are not achieved and have to be re-adjusted. New light yielding varieties should be produced and distributed. The marginal farmers are in great difficulties. No bank advance them money. The Government should build such system as many benefit the small and marginal farmers.

The Government talk of involvement. In all most all the states Panchayati Raj and there ties system are now breaking down. There should be distribution and decentralization of powers.

Care should be taken for the big projects right now. The priority should be given to provision of power and electricity to every one.

श्री रणबहादुर सिंह, (सिधि): किसी भी विकासशील देश के लिये जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयोजना का स्थान अद्भुत है। हमने इस देश में पिछले 20 वर्षों से इस अद्वितीय रचना के प्रयोग किये हैं। इसी प्रक्रिया में जब हम पांचवीं योजना पर विचार करते हैं तो कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या पांचवीं योजना की प्रक्रिया में हम सामाजिक न्याय और लोगों की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी कर सकेंगे ?

एक भावना चारों ओर फैल रही है कि योजना में योजना ने स्वयं निहित स्वार्थों का रूप धारण कर लिया है। मैं यह भी महसूस करता हुं कि किसी भी मानव की तरह कोई राष्ट्र भी राष्ट्रीय स्तर पर कल की नवाबी की कुंठा से ग्रसित

हो सकता है । इस देश में भी हम स्वतन्त्रता के पश्चात् इस कुंठा के शिकार रहे हैं और हमने विदेशी सहायता के बल पर प्रशासन के ऐसे लक्षण विकसित कर लिये हैं जो अब घातक हो रहे हैं । कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस देश में लगभग 1000 करोड़ रुपये का ऐसा व्यय है जो किसी उत्पादिता पर नहीं किया जा रहा है । अनुत्पादिता पर इस प्रकार का व्यय एक प्रकार की कुंठा है ।

इसके अतिरिक्त इस राष्ट्र ने गेहूं की वसूली का प्रयोग किया । एक जिले में वसूली लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सरकारी तंत्र को इतना व्यस्त रखा गया कि उस प्रक्रिया में फूंके गये पेट्रोल के खर्च को मिलाया जाये तो 200 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है ।

इसी प्रक्रिया में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है । इस सभा में कई अवसरों पर ऐसे प्रसंग आये कि कई चीजों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद एक आवाज उठाई जा रही है कि किसी दिन सरकारी तंत्र को समाप्त करने या उसका राष्ट्रीयकरण करने की मांग की जायेगी ।

इस प्रसंग में मैं एक सुझाव देना हूं जिस पर योजना मंत्रालय विचार करे । दृष्टिकोण-पत्र के पृष्ठ 62 की अन्तिम पांच पंक्तियों में लोगों को शामिल करने का उल्लेख किया गया है ।

मैं एक प्रश्न करता हूं । क्या अब तक प्रयोग की गई पद्धतियों में लोगों को शामिल करना संभव है ? क्या लोगों को केवल योजना की परियोजनाओं और व्यय के बारे में बताया कर शामिल किया जा सकता है ? मेरा कहना है कि यह संभव नहीं है । आज गांवों में स्थिति यह है कि एक अधिकारी और गांव वाले में बड़ी विषमता है । इस सभा में तैयार की गई योजना का निष्पादन जिले के सरकारी तंत्र के हाथ में रहता है । जब गांव तक उसे ले जाया जाता है तो इस सरकारी तंत्र को असफलता मिलती है । इस कठिनाई को दूर करने की एक ही संभावना है और वह यह है कि गांवों में विनोबा जी के सर्वोदय को यह काम प्रयोग के लिये सौंपा जाये । तब लोग सोचेंगे कि इस बारे में यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके लिये प्रगति करना संभव नहीं होगा ।

इस कार्य के लिये थोड़े विश्वास की भी आवश्यकता है ।

जब हम इन योजनाओं को बनाते हैं और पिछड़ेपन से दूर होना चाहते हैं तथा आत्म-निर्भर बनना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिये कि योजनाओं का निष्पादन तभी हो सकता है जब लोग इसके समता और स्वतन्त्रता में भागीदार हों ।

मुझे आशा है कि जब इस योजना की वास्तविक स्वरूप मिलेगा तो वाणसागर परियोजना को इसमें स्थान मिलेगा । इस परियोजना को इसके निर्माण के तीसरे वर्ष बाद अपने ही संसाधनों से धन मिलेगा ।

Shri Sudhakar Pandey (Chaundauli): The Country's destiny is being dispensed through the Planning but this process has been an utter failure in achieving its aim. A wide gap between the rich and the poor was prevalent during the pre-independence era and this gap is still existing.

The machinery by which the Government is trying to make the future of the country deems to come out true is inert. Our leaders, our Ministers are not so able that they can make the electorate feel their actual status. It is fantastic to think about the progress of the nation unless the electorate is made conscious of their stutus.

After 25 years of independence, the language of our country could not final place in the courts. It is a matter of shame that a proposal has been made in the next plan that the Government is going to spend 5 paise per capita per month for flourishing the national language. Our leaders should learn austerity and when cut in expenditure is done, it is done in the field of Education, Culture and Health.

The Government has been able to propagate literacy and not education after independence. If they had propagated education, the atmosphere of frustration would not have been there.

Adequate financial assistance is not being provided to Uttar Pradesh. Instead of an amount of Rs. 3500 crores, an amount of Rs. 2100 crores is proposed to be provided. It is not on the basis of population.

Justice should be done to U.P. The backwardness should be removed and bridges and roads be constructed. Irrigation facilities should also be provided.

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना): हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता कृषि व्यवसाय से अपना जीविकोपार्जन करती है। हम योजना बना रहे हैं परन्तु हम भूल रहे हैं कि योजना किसके लिये बना रहे हैं ? हमारी योजना कृषि-प्रधान होनी चाहिये। वह श्रम प्रधान होनी चाहिये और वह 'गरीबी हटाओं'—प्रधान होनी चाहिये। जब हम योजना बनाते हैं तो हमें देश के उन लाखों गरीब व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिये जो गांवों में रहते हैं। योजना पर आगे कार्यवाही करने से पूर्व हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिये कि हम लोगों के विचार क्या हैं। हमने चार योजनायें बना ली लेकिन उन विचारों को जानने की कोशिश नहीं की। श्री धारिया और श्री धर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे इन समस्याओं को समझते हैं।

यदि अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ और स्थिर होना है तो हमें यह देखना होगा कि हमारी कृषि सुदृढ़ और स्थिर हो। कृषि क्षेत्र में अनेक समस्यायें हैं।

मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है परन्तु हमें योजना इस प्रकार बनानी चाहिये कि देश के गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

मुझे विश्वास है कि श्री धर और श्री धारिया मेरे द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार करेंगे। मेरी चिन्ता यह है कि सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर हमेशा कार्यवाही नहीं होती है।

हमारे जैसे बड़े देश के लिये योजना बनाना दुष्कर कार्य है। हमारे देश के संसाधनों को देखते हुए श्री धर को, साहस से स्थिति का सामना करना चाहिये और योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिये।

जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है, हम हमेशा सरकार द्वारा खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लिये जाने पर सोच रहे हैं। साथ ही मैं राज्य द्वारा व्यापार अपने हाथ में लिये जाने का विरोध नहीं करता हूं। हमें प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से इस देश का भविष्य उज्जवल बनाना है।

श्री श्यामनन्द, मिश्र (बेगुसराय): मैं आरंभ में ही इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार योजना के प्रति दृष्टिकोण-पत्र भारत के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंडित नेहरू सदैव आगामी योजना के दृष्टिकोण को देश के समक्ष रखते थे। इससे यह पता चलता है कि प्रधान मंत्री की कार्य-सूची में योजना को सबसे कम प्राथमिकता दी गई है और योजना का स्तर गिरा दिया गया है।

इतनी ही बात नहीं है कि प्रधान मंत्री आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है परन्तु जब दृष्टिकोण-पत्र पर राज्य सभा में चर्चा हो रही थी तब प्रधान मंत्री ने दृष्टिकोण-पत्र प्रस्तुत करने में शरीक होना उचित नहीं समझा। ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री ने योजना से छुट्टी ले ली है क्योंकि योजना आयोग की चैयरमैन के रूप में वह योजना की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेती हुई नहीं दिखाई देतीं।

हाल ही में प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह अपने बहुमूल्य समय में से प्रति दिन 15 घंटे राज्यों के मामलों पर लगा रही हैं परन्तु क्या उन्होंने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधि पर अपने समय के 15 मिनट भी लगाये हैं ?

पंडित नेहरू योजना आयोग की सभी महत्वपूर्ण बैठकों में उपस्थित होते थे और संभवतया एक महीने में वे महत्वपूर्ण बैठकें 20 या 24 से कम नहीं होती थी।

मेरी शिकायत यही नहीं है कि योजना आयोग की प्रधान इसमें रुचि नहीं लेती हैं अपितु निकाय के रूप में योजना आयोग छुट्टी पर लगता है। एक वर्ष में योजना आयोग की कितनी बैठकें बुलाई जा रही हैं ? मेरी जानकारी अनुसार ये बैठकें वर्ष में दो या तीन बार होती हैं।

देश में इस समय विद्यमान वातावरण आयोजना के विरुद्ध है। आज यह वातावरण छद्मपूर्ण परिवर्तन का वातावरण है।

इस समय जो देश में शासन चल रहा है उसमें लोकतन्त्रात्मक और सर्वसत्तात्मक विचारधारा का सम्मिश्रण है । कानूनी तौर से देश का शासन सत्ताधारी दल चला रहा है लेकिन देश के राजनीतिक समूह में जो मुख्य तत्व सम्मिलित है वह हैं भारतीय साम्यवादी दल । इसके परिणामस्वरूप देश में आयोजना की विशिष्टता और प्रकृति समाप्त हो गई है ।

श्री नेहरू के नेतृत्व में गत 18 वर्षों में जो योजना कार्य में सफलता प्राप्त हुई है वह प्रशंसनीय है । इतनी अवधि में किसी भी देश ने इतनी अधिक प्रगति नहीं की है ।

आज देश में योजना के प्रति अविश्वास की भावना व्यक्त की जा रही है । ऐसी योजना पर कौन विश्वास करेगा जिससे बेरोजगारी और मूल्यों में वृद्धि हो ।

देश में भय और असन्तोष और अनुशासनहीनता व्याप्त है । लेकिन सत्तारूढ़ दल ने स्थिति को नहीं पहचाना है और यदि देश में वही घटना घटे जो श्री लंका, बर्मा और इंडोनिशिया में घटी हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

आप नारों के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं लेकिन यदि उनको क्रियान्वित करने में असफल रहते हैं तो वे ही नारे आपके विरुद्ध जायेंगे । योजना के बारे में इस समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण तैयार किया गया है ।

चौथी योजना इतनी अव्यवस्थित थी कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता । सरकार वर्तमान योजना की ओर ध्यान न देकर आगामी योजना के बारे में बातें करती है । सरकार को वर्तमान योजना की ओर ध्यान देना चाहिये तभी वह आगामी योजना की उपलब्धि का विश्वास दिला सकती है । योजना मंत्री ने स्वयं यह कहा है पांचवीं योजना में बहुत कटौती की जायेगी और यह एक लघु योजना बन कर रह जायेगी ।

(डा० सरदीश राय पीठासीन हुए)

(Dr. Saradish Roy *in the Chair*)

वर्तमान संकेतों से ऐसा प्रतीत होता है कि नई इस्पात सम्बन्धी योजना समाप्त होने जा रही है । बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम में भी काफी कटौती की जा रही है । नये उर्वरक एककों की संख्या भी घटा कर आधी कर दी जायेगी । गोआ तेल शोधक कारखाने का मामला अन्ततः समाप्त किया जा रहा प्रतीत होता है । यदि महत्वपूर्ण परियोजनाओं की यह दशा है और मूल्यों में गत वर्ष की तरह 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि होती रही तो हम कैसे विश्वास कर लें कि लघु क्षेत्र की रक्षा की जा रही है ।

पांचवीं योजना में उद्योग के लिये लगभग 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं जिसमें 7,000 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के लिये और 3,000 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये निर्धारित किये गये हैं । इसमें से 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता अधूरी योजनाओं के लिये पड़ेगी और पांचवीं योजना पर अग्रिम कार्य करने के लिये 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार पांचवीं योजना के दौरान नई योजनाओं के लिये केवल 2,000 करोड़ रुपये बचेंगे । मूल्यों में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप उक्त राशि का मूल्य भी कम हो जायेगा । अतः हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम कैसी योजना तैयार कर रहे हैं ।

दृष्टिकोण पत्र में दिये गये आंकड़ों के अनुसार, पांचवी योजना में निवेश अनुपात, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, नहीं बढ़ाया जा रहा है । अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि पांचवीं योजना भी उस दृष्टि से 'योजना अवकाश' ही रहेगी ।

पांचवीं योजना को तैयार करने में जो नई तकनीक प्रयोग में लाई गई है वह प्रशंसनीय है ।

इस बारे में प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण निर्जीव है । इस योजना के दृष्टिकोण का दोष यह है कि इसमें मुख्य रूप से तकनीकी दृष्टिकोण को प्रथम स्थान दिया गया है और मानवीय अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है ।

ऐसा पहली बार हुआ है जबकि भविष्य को ध्यान में रखे बिना योजना का निर्माण किया गया है । क्या इस योजना में आगामी 10–15 वर्षों के बारे में भी संकेत दिया गया है ?

तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किया गया योजना दृष्टिकोण केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किये गये योजना 'दृष्टि-कोण' की तुलना में श्रेष्ठ है ।

यदि योजना दृष्टिकोण पत्र को जनता गम्भीरता से नहीं ले रही है तो इसका एक मात्र कारण यह है कि स्वयं सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है । वास्तविकता यह है कि सरकार ने चौथी योजना को ध्यान में न रखकर पांचवीं योजना तैयार की है । इस समय देश की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है । चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में कुप्रबन्ध के इस संकट की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था । लेकिन सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की ।

यदि सरकार ने गतिरोध का ठीक तरह से सामना किया होता तो यह संकट दूर किया जा सकता था । जब तक गतिरोध दूर नहीं किया जाता देश में प्रगति नहीं हो सकती । किसी प्रकार का निर्णय लेने में केन्द्रीय सरकार सर्वथा असफल रही है । सरकार किसी भी मामले में कभी भी उचित निर्णय नहीं ले पाई है ।

पांचवीं योजना के 'दृष्टिकोण पत्र' से यह आशा की जाती थी कि इसमें गतिरोध समाप्त करने की कोई व्यवस्था होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ।

आज सरकार जिस कुव्यवस्थित ढंग से अर्थव्यवस्था चला रही है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि पांचवीं योजना भी निरर्थक ऐसा सिद्ध होगी ।

राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि बहुत अधिक नहीं है । कृषि के संबंध में यह वृद्धि 4.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है । उद्योग में 9 प्रतिशत और निर्यात में 7 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है ।

सरकार जनता को इस बात के गलत आंकड़े देती रही है कि देश ने योजना लक्ष्य को पार कर लिया है । लेकिन ऐसा नहीं है । उसने निर्यात की प्रगति दर का अनुमान 5 प्रतिशत से अधिक नहीं लगाया था लेकिन अब वह 17 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 22 प्रतिशत तक का दावा कर रही है ।

देश में राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वास्तव में यह वृद्धि 7 प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिये और देश में उक्त लक्ष्य प्राप्त करना संभव है ।

इस समय कृषि की मौसम पर निर्भरता 80 प्रतिशत है । यदि उक्त निर्भरता में भारी कमी की जा सके तो हम राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक वृद्धि कर सकेंगे ।

औद्योगिक उत्पादन ऐसे परम्परागत उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे हैं जिनकी उत्पादन दर बहुत कम है । इन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये ।

हमने ऐसे भारी और आधारभूत उद्योगों को आरम्भ किया है जिनका उत्पादन आरम्भ करने का समय बहुत अधिक है लेकिन कुप्रबन्ध के कारण उस समय में और भी वृद्धि हो गई । सरकार ने शिक्षा की बहुत उपेक्षा की है । शिक्षा की उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप ही देश को ऐसी दयनीय अवस्था कर सामना करना पड़ रहा है ।

इस योजना के समानता के उद्देश्य का बहुत ढिंढोरा पीटा गया है । यह कहा गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य 30 प्रतिशत लोगों के उपभोग स्तर को कम कर निम्नवर्ग के 30 प्रतिशत लोगों के स्तर को ऊंचा करना है । लेकिन यह कोई नहीं जानता कि निचले स्तर के 30 प्रतिशत और उच्च स्तर के 30 प्रतिशत ये लोग कौन हैं । सरकार की यह समानता नीति समझ में नहीं आती ।

यदि सरकार वास्तव में इस देश से गरीबी हटाना चाहती है तो वह गत तीन वर्षों को व्यर्थ न गंवाती । वह इस बारे में ठोस कार्यक्रम बनाती तथा उसे क्रियान्वित करती । मद्य निषेध को समाप्त करके सरकार देश में गरीबी को और बढ़ाना चाहती है ।

सरकार को आत्म निर्भरता की दुहाई नहीं देनी चाहिये क्योंकि आगामी दो-तीन महीनों में वह अमरीका सरकार के सामने घुटने टेकने वाली है । क्योंकि भुगतान शेष की समस्या को हल करना अत्यन्त कठिन है । सरकार को अमरीका से खाद्यान्न, उर्वरक तथा पैट्रोलियम का आयात करना पड़ेगा जिसके लिये उन्होंने 240 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है । किन्तु मेरी गणना के अनुसार सरकार को 3,000 करोड़ रुपयों से कम राशि की आवश्यकता पड़ेगी । कुछ समय पश्चात् आपको ज्ञात होगा कि मेरे बताये हुए आंकड़े सही हैं ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : योजना दृष्टिकोण पत्र के पहले अध्याय में गरीबी हटाने तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्ति के दो प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है । वास्तव में योजनाओं का उद्देश्य यह होना चाहिये कि देश की जनता को अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे तथा जनता दिन प्रति दिन अधिक समृद्धि की ओर बढ़ती जाये । विभिन्न विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में हम आज देख रहे हैं कि हमारे बहुत से देशवासी गरीबी रेखा के निम्न स्तर पर गुजारा कर रहे हैं, वे बेरोजगार हैं या उन्हें पर्याप्त रोजगार नहीं मिला । अत: अब ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे जनता को शीघ्र राहत मिल सके । श्री दाण्डेकर के अनुसार जिन व्यक्तियों को प्रति दिन 2250 कैलोरी पूर्ण भोजन नहीं मिल पाता वे गरीबी के स्तर से नीचे का स्तर बिता रहे हैं । मैं जिस समुदाय से सम्बन्ध रखता हूं उसके लोग पेड़ों की जड़ें तथा पत्ता खाकर गुजारा करते हैं । उनके जीवन स्तर को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं ? 20 वर्ष के योजना काल के बाद भी 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी से नीचे का जीवन स्तर बिता रहे हैं । फिर इन योजनाओं का उन लोगों को क्या लाभ हुआ ।

जहां तक पांचवीं योजना का संबंध है हमें ज्ञात होना चाहिये कि उसमें किन-किन कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी । हम चाहते हैं कि योजना दो वर्षीय होनी चाहिये तथा उसमें बिजली, सिंचाई और कृषि कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा उनसे शीघ्र लाभ होना चाहिये । भारतीय जनता पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर विकास कार्यों के लिये अनिश्चित काल तक इस प्रकार इंतजार नहीं कर सकती । सम्भवत: माननीय मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह निदेश जारी किये हैं कि आदिवासी तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये छोटी योजनायें बनाई जायें । यदि यह बात सच है तो मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

अनुच्छेद 275(1) के उपबन्धों को देखते हुए संसद को सहायतानुदानों के बारे में कोई अधिकार ही नहीं है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को ऐसे प्रबन्ध करने चाहियें जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके । मैं वित्त मंत्रालय के सचिव के दिनांक 16/17 अक्तूबर, 1956 के पत्र के बारे में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं । वित्तीय सहायता के लिये हमारी मांग को यह कहकर ठुकरा दिया जाता है कि आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है । सहायतानुदानों के लिये संविधान की व्यवस्था को भी टाल दिया जाता है । अत: मेरा अनुरोध है कि जनजातियों के विकास के लिये आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये ।

पहली योजना में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कुल योजना परिव्यय की 0.85 प्रतिशत राशि की व्यवस्था की गई थी किन्तु अब उसकी प्रतिशतता घटाकर 0.25 कर दी गई है । इनके कल्याण के लिये कम से कम एक प्रतिशत कुल योजना परिव्यय की राशि मंजूर करनी चाहिये थी जिससे इनके साथ न्याय हो सकता ।

आदिवासियों की अन्य गम्भीर समस्या यह है कि उनकी भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा हथियाई जा रही है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आदिवासियों की बहुत सी भूमि अन्य लोगों ने हथिया ली है और सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी । अशिक्षित होने के कारण वे नौकरियां भी नहीं प्राप्त कर सकते । इस प्रकार उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अत: मेरा अनुरोध है कि जिन आदिवासियों की भूमि अन्य लोगों द्वारा छीन ली गई है सरकार उनको उनकी भूमि वापस दिलाये । इस बारे में न राज्य सरकार उत्तरदायित्व स्वीकार करती है और न केन्द्रीय सरकार । मेरा सुझाव है कि राज्यों में भूमि बंधक बैंकों की स्थापना करें जिससे आदिवासियों को उनकी भूमि वापस मिल सके । हमारे क्षेत्र में केवल दो प्रतिशत खेती योग्य भूमि के लिये सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का क्या उपयोग है ? इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों ने प्रधान मंत्री के आहवान के उत्तर में सरकार को बहुमत दिलाया है तो सरकार का तथा माननीय सदस्यों का भी यह दायित्व है कि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : पहली योजनाओं की तुलना में इस योजना में गरीबी हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गयी है । इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्म निर्भरता प्राप्ति के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । गरीबी की परिभाषा भी दी गई है तथा यह प्रस्ताव किया गया है कि 30 प्रतिशत गरीबतम जनसंख्या के उपभोग के स्तर को 26 रुपया प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 36 रुपया किया जाये ।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि सम्बन्धी लक्ष्य अब प्रमुख लक्ष्य नहीं माना गया । प्रमुख लक्ष्य असमानता को दूर करना माना गया है । योजना दृष्टिकोण पत्र में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है तथा उसके लिये योजना आयोग बधाई का पात्र है ।

इस दस्तावेज में आत्म निर्भरता प्राप्ति का भी गरीबी समाप्त किये जाने के संदर्भ में उल्लेख किया गया है । अतः इस दस्तावेज में लक्ष्य को पर्याप्त स्पष्ट किया गया है ।

योजना दस्तावेज के अनुसार यह प्रस्ताव है कि अत्यन्त धनी व्यक्तियों का उपभोग स्तर नीचे लाया जाये तथा अधिक गरीब लोगों के उपभोग स्तर को ऊंचा उठाया जाये । मुझे यह बात समझ में नहीं आई है कि 30 प्रतिशत व्यक्तियों में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित क्यों किया गया है जिनका औसत उपभोग स्तर 84 रुपया है । इस श्रेणी में बिड़ला और टाटा जैसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं तथा मध्य आय वर्ग के लोग भी सम्मिलित हैं । सरकार ने निम्नतम आय वर्ग के औसत उपभोग के बारे में कुछ नहीं कहा ।

सरकार ने बचत, पूंजी निवेश आदि के बारे में प्रोत्साहनों का उल्लेख किया है । विलास सामग्री के सम्बन्ध में योजना आयोग ने सराहनीय प्रस्ताव किया है कि वे देश में उपलब्ध नहीं होंगी । किन्तु सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसकी दृष्टि में कौन-कौन सी वस्तुयें विलास सामग्री में आती हैं । सरकार द्वारा निर्धारित मानक उपभोग स्तर के अनुसार 84 रुपया औसत उपभोग माना गया है जिसके अनुसार पांच सदस्यों के परिवार का उपभोग स्तर 420 रुपया हुआ । सरकार ने 130 रुपया औसत उपभोग निर्धारित किया है जिसके अनुसार एक परिवार का औसत उपभोग 560 रुपया बनता है । अतः क्या सरकार यह निश्चित करेगी कि 565 रुपया से अतिरिक्त की राशि को बचत के रूप में ले लिया जाये ? इसके साथ ही महात्मा गांधी के जीवन को आदर्श मानकर संसद सदस्यों और मंत्रियों को देश की साधारण जनता के जीवन स्तर के अनुरूप अपना जीवन स्तर रखना चाहिये ।

कांग्रेस पार्टी ने भुवनेश्वर में यह घोषणा की थी कि जनता को शिक्षा, आवास और पेय जल की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी । किन्तु इस दस्तावेज में इन कार्यों के लिये पिछली योजनाओं में निर्धारित राशियों से अधिक राशियां नियत नहीं की गईं ।

यह सच है कि जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिये रोजगार आवश्यक है । सरकार ने इस बारे में मजूरी रोजगार तथा स्वनियोजन का उल्लेख किया है । यह भी सच है कि विकास कार्यों के साथ साथ रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होती है । यह भी कहा गया है कि कृषि में विस्तार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है । देश में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से 85 प्रतिशत भूमि में खेती होती है । इसके अधिक की संभावना भी नहीं है । यह तो संभव है कि गहन कृषि तथा अधिक खाद देने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाये किन्तु इसमें अधिक व्यक्तियों को रोजगार कैसे प्राप्त हो सकता है ।

रोजगार को ध्यान में रखकर निर्माण कार्यों पर अधिक बल दिया गया है जो उचित है । किन्तु इस प्रयोजन के लिये केवल 100 करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई है । इस राशि से सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलाया जा सकता । जहां तक स्वनियोजन का प्रश्न है कृषि क्षेत्र में ही इसकी वृद्धि हो सकती है । यह सच है कि भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाये । दस्तकारी, ग्रामोद्योग आदि पर बल देकर आप गांधी दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं । मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ती है फिर भी टाटा आदि को साबुन आदि बनाने की अनुमति दी जाती है । जिससे लाखों व्यक्तियों से रोजगार छीन लिया जाता है ।

यह देश साधन जुटाता है, बैंक धन देता है और श्रमिक श्रम करता है । अतः इस देश में जो कुछ पैदा होता है वह जनसाधारण को उपलब्ध होना चाहिये । हमें वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाना चाहिये । वितरण व्यवस्था सरकार के हाथ में रहनी चाहिये । कोई भी व्यक्ति जो सरकारी वितरण व्यवस्था या भूमि सुधारों के विरुद्ध है वह इस योजना का शत्रु समझा जायेगा । जो व्यक्ति विलास सामग्री पर खर्च करने के पक्ष में है वह अपराधी है और योजना का शत्रु है । मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्रालय प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव लायेगा । हमें योजना को क्रियान्वित करने में पड़ने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।

इस समय श्रमिक को केवल मजूरी मिलती है और वह उत्पादन के लाभ से वंचित रह जाता है । उसकी मजूरी कम है जबकि मूल्यों में वृद्धि हो रही है । मूल्य वृद्धि बिचौलियों के कारण होती है । अतः हमें श्रमिक को आश्वस्त करना होगा कि उत्पादन का श्रेय उसको मिलेगा और वे उत्पादन समाज को उपलब्ध होंगे ।

मैं इस योजना में अभिव्यक्त नीति का समर्थन करता हूं ।

श्री पीलूमोदी (गोधरा) : यह वादविवाद यथार्थ से बहुत दूर है। इस योजना का न कोई भूत है न भविष्य। बार-बार समाजवाद की दुहाई दी जाती है परन्तु मेरे विचार में ऐसा कोई भी समाजवादी देश नहीं जिसे खुशहाल बताया जा सकता हो। समाजवादी देशों में अधिक कर, अधिक मूल्य, अभाव और प्रत्येक वस्तु के लिये पंक्तियों में खड़े रहना, चोर-बाजारी और प्रतिभा पलायन होता है। हमारे देश में समाजवाद के लाभ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। योजना में मूल आवश्यकताओं का उल्लेख होना चाहिये, शब्दाडम्बर मात्र से कोई लाभ नहीं हो सकता। हमें खाद्यान्न, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था और सरकारी परिवहन की व्यवस्था पर अधिक जोर देना चाहिये। मारुति-समाजवाद में खाद्यान्न की खपत में 11 प्रतिशत की कमी हो गई है। इसी प्रकार दालों की खपत में 24 प्रतिशत की कमी हो गई है। खाद्य तेलों और चीनी की खपत में भी क्रमश: 25 और 17 प्रतिशत की कमी हुई है। हम खाद्यान्न के आयात पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। इतनी बड़ी धन-राशि खर्च करके हम 40 उर्वरक कारखाने लगा सकते थे और इस देश में 1,52,324 ग्रामों के लिये पेय जल की व्यवस्था कर सकते थे। इस राशि से हम अनाज के उत्पादन में 5 करोड़ टन की वृद्धि कर सकते थे। हमारी सरकार अन्य देशों को सब कुछ देने को तैयार है परन्तु इस देश के किसानों को नहीं। आज कालेज से परीक्षायें पास करने के बाद छात्रों का भविष्य अनिश्चित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लिखा था कि उसके अन्त में 90 लाख लोग बेरोजगार होंगे और तीसरी पंचवर्षीय योजना में लिखा था कि उसके अन्त में 120 लाख व्यक्ति बेरोजगार होंगे। दूसरी योजना सफल नहीं हुई और इसके अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 150 लाख थी जबकि योजना में निर्धारित लक्ष्य 120 लाख था। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 3½ करोड़ है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितनी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगा? कपड़े की खपत में भी 11 प्रतिशत की कमी हुई है। मकानों की स्थिति और भी खराब है। फिर शिक्षा का स्तर भी गिर गया है। कुछ वर्ष पूर्व अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 20 करोड़ थी जो अब 35 करोड़ तक पहुंच गई है।

इस देश में सार्वजनिक परिवहन के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बनाई गई। 51,000 करोड़ रुपये की योजना में सार्वजनिक परिवहन को कोई स्थान नहीं दिया गया। कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में वर्षों से योजनायें बनाई जा रही हैं परन्तु अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। केवल बम्बई को छोड़कर अन्य किसी भी नगर में सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

'गरीबी हटाओ' का नारा लगाने मात्र से गरीबी दूर नहीं की जा सकती। गरीबी को दूर करने के लिये धन बांटने की बजाय काम बांटने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गरीबी दूर की जा सकती है। इस समस्या को योजना बनाने मात्र से हल नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार ने यह तो बता दिया है कि किसी राष्ट्र को नष्ट कैसे किया जा सकता है परन्तु उन्हें राष्ट्र निर्माण करने की विधि की कोई जानकारी नहीं है। मनुष्य के मन में आशा बनी रहनी चाहिये तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने की पूरी छूट होनी चाहिये। उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिये।

मनुष्य की आकांक्षाओं के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है, योजना बनाने से नहीं। जैसा कि फ्रांस तथा अन्य देशों में हुआ है, मानवीय महत्व-आकांक्षाओं से ही समाज का उत्थान वहां हुआ है न कि नगण्य योजना-बद्ध कार्यों द्वारा जिनका प्रस्ताव यहां किया गया है। प्रस्तुत किये गये पत्र में बहुत से 'यदि' हैं और इसमें 'परन्तु' भी होते फिर भी क्या अन्तर पड़ता?

योजनाओं पर ढेरों धन खर्च करके भी समाज का और देश का उत्थान ईमानदारी, कड़े परिश्रम और बुद्धिमत्ता के बिना संभव नहीं है। इस योजना को भले ही पूरा किया जाये परन्तु जनता में आशा अवश्य जागृत करे।

Smt. Savitri Shyam (Aonla): The Approach Paper is the product of an attempt to lend reality by the Minister of Planning and his colleague.

(श्री के एन तिवारी पीठासीन हुए)

(Shri K.N. Tiwari *in the Chair.*)

I do not agree with Shri Modi that the last Plans have not achieved anything so far, because we see the changing shape of the country and as per the President of the World Bank, India is the foremost amongst developing countries where progress has been very rapid.

It is true that alongwith progress, the disparities have also increased and we should try to remove then

Looking at the employment pattern in Public and Private Sector, we note that whereas the profits of Private Sector has risen from 45 to 97 crores from 1959-60 till 1970-71 the number of jobs therein has been steadily decreasing. There shuold be some social obligation or Social control on the Private Sector. I also want that more emphasis should be laid on removal of disparities.

Drastic Changes will have to be made in the Plan in the light of draught and Pay Commission recommendations etc.

I feel that family planning should also be included in the core Sector because though it does not concern productivity, yet it very much depends on family planning. I am sorry to state that whereas in 1972-73, 76 crores rupees were allocated for family planning, it was reduced to 38 crores of rupees for 1973-74.

I feel that justice has not been done with the rural Sector in the past because only 15 percent of the outlay has been spent there whereas they comprise 75 to 80 percent of our population and moreover their development is needed the most.

Hithertofore, Central assistance was begin given to the state having more political or other pressure on the centre without regard to its need and backwardness. This is why U.P. remains backward even today and ironically the conditions there have worsened by the end of each successive plan. I, therefore urge that the mode or pattern of central assistance should be changed to ensure higher volume of assistance to weaker states.

Despite our commitment to Socialism, our services continue to be traditional with the same old rules and regulations governing their working with lack of urgency and dedication. Therefore parity should be brought about in Central Services by remaining the injustice done to technical personnel so that frustration among them is ended.

Malviyaji gave new direction to oil exploration, but nothing has been done in the field of offshore drilling. The recommendations of various Committees etc. should not be thrown in cold storage like this.

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi): The approach paper now before the House is positively the first revolutionary step to achieve socialism through democratic processes but I feel that no plan can succeed without maximum mass participation and involvement and in order to achieve that, the first step before embarking upon the fifth Plan should be to establish effective three-tier Panchayati Raj in the country like Maharashtra and Gujarat. We want the plan work to begin from the bottom. I, therefore, urge that priorities should be finalised again beginning with increasing production and ensuring equitable distribution of essential commodities to poor and lower middle classes, to be followed by power generation, irrigation and flood control. Vital water resources should be declared national assets so as to ensure maximum utilisation thereof. Moreover, land reform legislation is not being enforced properly. We should ensure that maximum area is made productive and is brought under the plough.

There appears to be something drastically wrong with distribution of plan allocation because we see that some regions, states and districts have become more backward than before. This means that resources have not reached the district level. Effective steps should be taken to see that States like U.P., M.P., Bihar and Orissa do not remain backward now.

U.P. is deficient in power and fertilisers. Therefore, the irrigation and power schemes now under condsideration should be given clearance urgently and fertiliser factories asked for are granted to U.P. to remove disparity.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं ।

सभापति महोदय : आप आगामी सत्र में इस चर्चा पर पुनः भाषणों में अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

बम्बई और दिल्ली में डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: DOCTORS' STRIKE IN BOMBAY AND DELHI

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर): जैसा कि सदस्यों को पता है बम्बई और पूना के डाक्टरी शिक्षा देने वाले अस्पतालों के कनिष्ठ डाक्टर 17 अगस्त, 1973 से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के संबंध में अभी तक समझौता करने में सफलता नहीं मिली है। अध्यापक, हाउस सर्जन, रजिस्ट्रार और स्नातकोत्तर कनिष्ठ डाक्टरों ने 2 सितम्बर, 1973 को सफदरजंग अस्पताल में एक सभा की और एक संकल्प पारित किया जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त उन्होंने 5 सितम्बर, 1973 अर्थात् आज सवेरे 8 बजे से 48 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया। यह हड़ताल पूर्णतः महाराष्ट्र के कनिष्ठ डाक्टरों की सहानुभूति में की जा रही है और इसका किसी स्थानीय मांग से संबंध नहीं है। संकल्प में महाराष्ट्र के सभी निकाले गये डाक्टरों को तुरन्त पुनः काम पर लगाने के मामले को तुरन्त शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने, महाराष्ट्र के डाक्टरों पर ढाये गये जुल्म की निन्दा करने और प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

इस नोटिस के परिणामस्वरूप दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के कनिष्ठ डाक्टर आज प्रातः हड़ताल पर चले गये हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आपात और बाह्य विभाग में सामान्य रूप में रोगियों की चिकित्सा की गई है। सफदरजंग अस्पताल में सेवायें कम होंगी। अन्य सभी अस्पतालों में हम सेवायें सामान्य रख सकेंगे। दिल्ली के अन्य किसी अस्पताल में कार्य के छिन्न-भिन्न होने के समाचार नहीं मिले हैं।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर): मेरा निवेदन है कि इस वक्तव्य के बाद सभावसान करने से पूर्व हमें स्पष्टीकरण मांगने का भी अवसर दिया जाये।

सभापति महोदय: इसका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री आर० के० खाडिलकर: दिल्ली नर्स संस्था ने एक प्रेस प्रकाशिनी जारी की है जिसमें महाराष्ट्र के कनिष्ठ डाक्टरों की मांगों का उल्लेख करते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि यदि मांगें तुरन्त नहीं मानी गयीं तो वे भी हड़ताल में शामिल हो जायेंगी। यह एक और धमकी है। हमें इस बात का अन्दाजा है कि यदि बम्बई के हड़ताल के सम्बन्ध में समझौता शीघ्र नहीं हुआ तो इसका प्रभाव भारत भर में पड़ेगा। हमारे पास उत्तर प्रदेश, बंगाल और मद्रास से सूचनायें आ गई हैं। वे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं।

कल सभी राज्यों के डाक्टरों के प्रतिनिधि बम्बई में मिल रहे हैं और वे एक संघ बनाने पर विचार कर रहे हैं। अतः यह एक अखिल भारतीय आन्दोलन है। बम्बई से समाचार मिला है कि हड़ताल चल रही है और समझौते के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। बम्बई के गैर-सरकारी और सरकारी अस्पतालों समेत सभी चिकित्सा कार्य से सम्बन्धित लोग हड़ताल पर हैं। समाचार पत्रों से पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार रोगियों की चिकित्सा बनाये रखी है।

निःसन्देह सभा अखिल भारतीय हड़ताल के दुष्परिणामों से चिन्तित है। मैं आशा करता हूं कि दोनों पक्ष यथासम्भव शीघ्र किसी निर्णय पर आ जायेंगे।

कुछ माननीए सदस्य उठ खड़े हुए—(**व्यवधान**)।

सभापति महोदय: कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। योजना के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा के बारे में, श्री आभा के बाद श्री शिनाय भाषण करेंगे।

अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

MGIPNLK—8/Lok Sabha/73—5-12-73—490 Copies.